भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage-Bye Laws for Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District- Balrampur, Uttar Pradesh

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage-Bye Laws for Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District- Balrampur, Uttar Pradesh

विषय-सूची		
अध्याय I प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1-2
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III संरक्षित संस्मारक "सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है" का स्थान एवं अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7-9
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	9
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	9
3.3	संस्मारक का इतिहास	9-10
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	10
3.5	वर्तमान स्थिति	11
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	11
	3.5.2 प्रतिदिन एवं कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या :	11
अध्याय IV स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	विद्यमान क्षेत्रीकरण	12
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश	12
अध्याय V प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	13
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	13
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	13
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	14-15

	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	15
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	15
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई	16
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	16
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	16
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	16
	5.2.9 अवसरंचना सेवाएं	17
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	17
अध्याय VI **संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**		
6.1	संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	18
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	18
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	18-19
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	19
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	19
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	19-20
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य	20
6.8	खुले स्थान और भवनों का उपयोग	20
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	20-21
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	21
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	21
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	21
6.13	अनुमत भवन संबंधी मानदंड	21
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण	21-22
	6.13.2 पुनर्निर्माण	22
	6.13.3 नया निर्माण	22-25
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	25
अध्याय VII **स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें**		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	26
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	27

CONTENTS		
CHAPTER I **Preliminary**		
1.1	Short title, Extent and Commencements	28
1.2	Definitions	29-30
CHAPTER II **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958**		
2.1	Background of The Act	31
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	31
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	31-32
CHAPTER III **Location and Setting of the Protected Monument – Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh**		
3.1	Location and Setting of the Monument	33-35
3.2	Protected boundary of the Monument	35
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	35
3.3	History of the Monuments	35-36
3.4	Description of the Monuments (architectural features, elements, materials etc.)	36
3.5	Current Status	36
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	36
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	36
CHAPTER IV **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**		
4.1	Existing Zoning	37
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	37
CHAPTER V **Information as per First Schedule and Total Station Survey**		
5.1	Survey Plan	38
5.2	Analysis of surveyed data	38
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	38
	5.2.2 Description of built up area	39-40
	5.2.3 Description of green/open spaces	40
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	40
	5.2.5 Existing Heights of buildings	40-41
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	41
	5.2.7 Public Amenities	41
	5.2.8 Access to the Monument	41
	5.2.9 Infrastructure services	41
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	42

CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	43
6.2	Sensitivity of the Monument	43
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	43-44
6.4	Land-use to be identified	44
6.5	Archaeological heritage remains other than protected monument	44
6.6	Cultural landscapes	44-45
6.7	Significant natural landscapes	45
6.8	Usage of open space and constructions	45
6.9	Traditional, historical and cultural activities	45
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	46
6.11	Traditional architecture	46
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	46
6.13	Permissible Building related parameters	46
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	46-47
	6.13.2 Reconstruction	47
	6.13.3 New Construction	47-49
6.14	Visitors facilities and amenities	49
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	50
7.2	Other Recommendations	50-51

ANNEXURES		
अनुलग्नक-I Annexure-I	सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh	52
अनुलग्नक-II Annexure-II	सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की अधिसूचना Notification of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh	53-54
अनुलग्नक-III (क) Annexure-III (a)	सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राईंग Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh	55
अनुलग्नक-III (ख) Annexure-III (b)	सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राईंग Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Kharahua Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh	56
अनुलग्नक-III (ग) Annexure-III (c)	सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राइंगें Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh	57

अनुलग्नक-IV Annexure-IV	श्रावस्ती महायोजना (1991-2031) प्रस्तावित भूमि-उपयोग Shravasti Master plan (1991-2031) Proposed Land-use	58
अनुलग्नक-V Annexure-V	संस्मारक और इसके आसपास के चित्र Images of the Monument and its surroundings	59-61

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **संरक्षित संस्मारक "सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें वास्तुकला विरासत प्रभाग, इनटैक, नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 11.08.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक "सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, **उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-

विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं: -

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) ''तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)'' से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा

पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक "सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है" का स्थान एवं अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक, "सहेट-महेट (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है", उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। अधिसूचना में तीन टीले शामिल हैं जिन्हें पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार के नाम से जाना जाता है। तीनों टीले वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला, देवी पाटन मंडल में आते हैं।

उनके स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक इस प्रकार हैं:

i. **पनहिया झार टीला :** अक्षांश: 27°30'08.64" उत्तर; देशांतर: 82°03'14.46" पूर्व।

ii. **खरहउवा झार टीला :** अक्षांश: 27°30'07.34"N; लम्बाई: 82°03'05.83" पूर्व।

iii. **ओड़ाझार टीला :** अक्षांश: 27°30'01.06".उत्तर; देशांतर: 82°03'08.51" पूर्व।

चित्र 1 : टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाना जाता है, के स्थान को दर्शाते सैटेलाइट चित्र

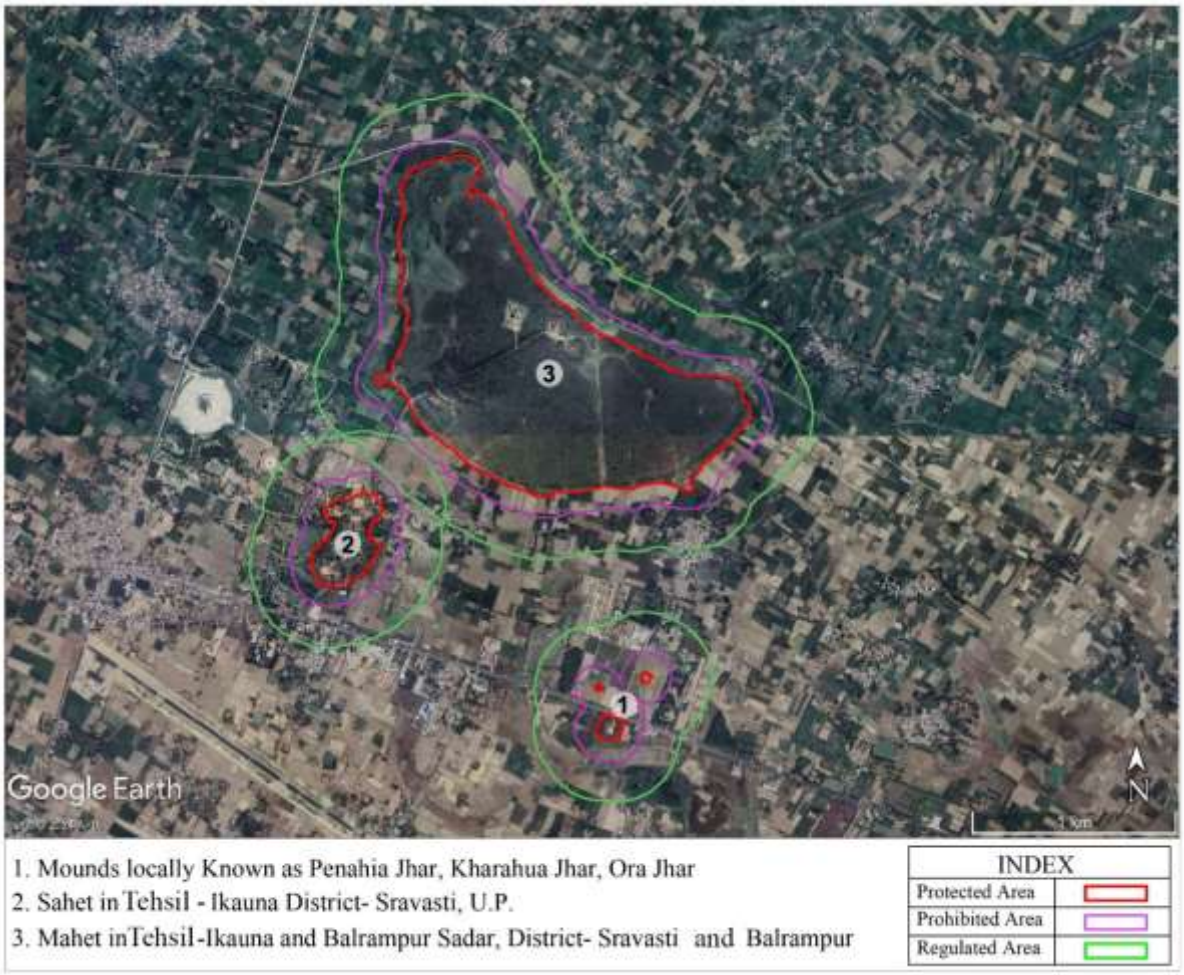

चित्र 2 : आस-पास के सभी संरक्षित स्मारकों के समूह को दर्शाता सैटेलाइट चित्र

ओड़ाझार राप्ती की सहायक नदी खजुआ के बाएं किनारे पर स्थित है। ओड़ाझार के निकट और दक्षिणी शहर की दीवार (महेट) के दक्षिण में दो छोटे टीले हैं जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार और खरहउवा झार के नाम से जाना जाता है। तीनों टीलों में से ओड़ाझार सबसे खड़ा टीला है। तीनों टीले ग्रामीण परिवेश में स्थित हैं जो बागों, जल स्रोतों, कृषि भूमि के साथ-साथ कुछ नई इमारतों जैसे स्कूल, होटल और बौद्ध मंदिरों/मठों से घिरे हैं। आस-पास का एक और संरक्षित संस्मारक **"तहसील - इकौना और बलरामपुर सदर, जिला - श्रावस्ती और बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में सहेत-महेट स्थल" है।**

ऐतिहासिक दृष्टि से, श्रावस्ती बौद्ध धर्म के इतिहास में दर्ज प्राचीन नगरों में से एक है और अब इसका प्रतिनिधित्व पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जैसेकि सहेत-महेट स्थल, साथ ही निकटवर्ती पुरातात्विक स्थल और अवशेष जैसे कि ओड़ाझार, पनहिया झार, खरहउवा झार, पूर्वाराम महा विहार, बाबा बनीनाथ, और टीलों के रूप में अन्य संभावित पुरातात्विक स्थल।

हिमालय की तलहटी में तराई क्षेत्र में स्थित श्रावस्ती की भौगोलिक स्थिति अद्वितीय है। यह रणनीतिक रूप से राप्ती नदी के पास स्थित है। संरक्षित संस्मारक राप्ती नदी के लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में है, जो प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि के बीच है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने हमेशा श्रावस्ती की ऐतिहासिक प्रमुखता और सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया है।

संरक्षित संस्मारक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-730 (NH-730) संरक्षित संस्मारक के बगल से गुजरता है, जो सड़क मार्ग से कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, संकिसा, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों तक आसान पहुँच और संपर्क प्रदान करता है। संरक्षित संस्मारक का निकटतम रेलवे स्टेशन बलरामपुर जंक्शन है जो लगभग 19 किलोमीटर दूर है। निकटतम घरेलू हवाई अड्डा श्रावस्ती हवाई अड्डा है जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा - सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है को **अनुलग्नक-I** पर देखा जा सकता है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

राजपत्र अधिसूचना - सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, को **अनुलग्नक-II** पर देखा जा सकता है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

श्रावस्ती बौद्ध धर्म के इतिहास में दर्ज प्राचीन शहरों में से एक है। स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार के नाम से जाने जाने वाले टीले श्रावस्ती के अभिन्न अंग हैं।

श्रावस्ती, कभी प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, श्रावस्ती को अपना वार्षिक वर्षा ऋतु निवास स्थान बनाया था। इस शहर ने 25 वर्षों तक भगवान बुद्ध की मेज़बानी की। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना पौराणिक राजा श्रावस्त (इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया) ने की थी; इस जगह पर कई प्राचीन स्तूपों, राजसी मठों और सुंदर मंदिरों के खंडहर हैं। इस जगह पर एक आनंद बोधि वृक्ष भी है, जो मूल महाबोधि वृक्ष का वंशज है, जिसे भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्य अनाथपिंडिका ने लगाया था।

कौशल राज्य के एक समृद्ध शहर के रूप में शहर का सबसे पहला उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। पुराणों में इसे उत्तर कौशल की राजधानी बताया गया है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कौशल का उल्लेख किया है, जबकि पाली बौद्ध साहित्य में भी कौशल, उसके इतिहास और समाज के बारे में कई संदर्भ दिए गए हैं। बाद के समय में इसे 'चंद्रिकापुरी' और

'चंपकपुरी' के नाम से भी जाना जाता था। कालिदास ने इसे 'श्रावस्ती' कहा है और अंगुत्तर निकाय ने कौशल को सोलह महान जनपदों में से एक बताया है।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रेसेनजित के शासनकाल के दौरान यह स्थान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध हुआ और बौद्ध तीर्थस्थलों के आठ पवित्र स्थानों में से एक बन गया। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने शिष्य अनाथपिंडिका द्वारा जेतवन में उनके लिए एक मठ बनवाने के बाद यहाँ 24 वर्षा ऋतुएँ बिताई थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अन्य संप्रदायों ने बुद्ध को चुनौती दी तो उन्होंने यहाँ 'महान चमत्कार' भी किया था। डाकू अंगुलिमाल का बदलना भी उस काल की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक था। विशाखा, सुमाना और अन्य सहित कुछ प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ इसी स्थान की थीं।

कहा जाता है कि राजा अशोक ने इस स्थान का दौरा किया था और जेतवन के पूर्वी द्वार पर दो स्तंभ बनवाए थे। इसके अलावा, उन्होंने आस-पास एक स्तूप भी बनवाया था। कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म शाही समर्थन के साथ एक लोकप्रिय धर्म बन गया। इस स्थान का उल्लेख फाहियान और ह्वेन त्सांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री, आदि):

ओड़ाझार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की सहायक नदी खजुआ के बाएं किनारे पर स्थित है। इसे प्रसिद्ध 'पूर्वराम' या पूर्वी मठ से पहचाना जा सकता है, जिसका निर्माण फाहियान द्वारा वर्णित विशाखा ने करवाया था। यहां की खुदाई से तीन गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का पता चला है, जो कुषाण काल (पहली शताब्दी ई.) से शुरू होकर गुप्त और मध्यकालीन काल तक चलता है।

कुषाण काल में सामान्य योजना के साथ मठ परिसर के अवशेष मिले हैं। गुप्त काल को एक मंदिर के चबूतरे के रूप में देखा जा सकता है जो एक दीवार से घिरा हुआ है। मध्यकालीन काल में गुप्त मंदिर के शीर्ष पर एक तारे जैसी संरचना का पता चला है।

ओड़ाझार के निकट और दक्षिणी शहर की दीवार के दक्षिण में दो छोटे टीले हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार और खरहउवा झार के नाम से जाना जाता है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई थी।

ओड़ाझार टीले में खुदाई से 16.20 मीटर व्यास वाली ठोस ईंट की संरचना का पता चला। इसके केंद्र में एक अवशेष-पात्र था, जिसमें हड्डी के टुकड़े, कुछ सोने की पत्तियां, रॉक-क्रिस्टल, चांदी की गोलाकार परतें और एक पंच-मार्क चांदी का सिक्का मिला। दूसरी संरचना भी गोलाकार थी जिसका व्यास 31.50 मीटर था जो तीन संकेंद्रित ईंट की दीवारों से बनी थी, बीच की जगह मिट्टी से भरी हुई थीं। इसके केंद्र में कोई अवशेष-कास्केट नहीं मिला। **[अनुलग्नक-III(क), III(ख) और III(ग) देखें]**

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक और उसके संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक V में संलग्न हैं।**

3.5.2 प्रतिदिन एवं कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या:

पनहिया झार और खरहउवा झार में प्रतिदिन लगभग 5-10 पर्यटक आते हैं, जबकि ओड़ाझार में प्रतिदिन लगभग 100-500 पर्यटक आते हैं। ओड़ाझार में स्थानीय लोगों के अलावा श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि से पर्यटक आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन 1000 तक बढ़ जाती है।

अध्याय IV
स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

(i) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 2640/XXXVII-3-84/119-NKV-78 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 1984 और 3448/9-A-3-98-199N.KV/78 लखनऊ, दिनांक 15 दिसंबर, 1998 द्वारा श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र का प्रस्ताव दिया था, जिसमें श्रावस्ती शहर और आसपास के छह गांवों (गंगापुर बांकी, घोघुलपुर, खरगूपुर, चकर भंडार, राजगढ़-गुलहरिया और कटरा) की भूमि शामिल थी।

संरक्षित संस्मारक - सहेत-महेट (श्रावस्ती) के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित प्राचीन अवशेष टिले जो पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाने जाते है' चकर भंडार गांव में आते हैं। श्रावस्ती विनियमित क्षेत्र के लिए श्रावस्ती महायोजना 1991-2031 में उल्लिखित विनियम लागू होगा।

(ii) श्रावस्ती महायोजना, भूमि उपयोग योजना - 1991-2031 में उल्लिखित विनियामक ढांचा इस क्षेत्र के भीतर विकास और भूमि उपयोग को निर्धारित करेगा। इस योजना में संरक्षित संस्मारक - सहेत-महेट (श्रावस्ती) के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित प्राचीन अवशेष टिले जो पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाने जाते है, को **'कृषि भूमि'** के रूप में नामित किया गया है।

(iii) श्रावस्ती महायोजना 1991-2031 में (निषिद्ध क्षेत्र) के रूप में नामित सीमा भी शामिल है। संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाएँ सहेत-महेट (श्रावस्ती) के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित प्राचीन अवशेष टीले जो पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाने जाते है, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आते हैं। अधिक जानकारी के लिए **अनुलग्नक-IV देखें।**

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश:

विकास नियंत्रण एवं भवन विनियमन से संबंधित स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशा-निर्देश, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अनुरूप, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित 'श्रावस्ती महायोजना-1991-2031' एवं 'विकास प्राधिकरण: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2011, 2016 एवं 2018) के अनुरूप हैं।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

सहेट-महेट (श्रावस्ती) के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित प्राचीन अवशेष टिले जो पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाने जाते है, की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

संरक्षित क्षेत्र:

पनहिया झार टीला	:	0.425 एकड़ (लगभग)
खरहउवा झार टीला	:	0.113 एकड़ (लगभग)
ओड़ाझार टीला	:	3.137 एकड़ (लगभग)

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

पनहिया झार टीला	:	11.665 एकड़ (लगभग)
खरहउवा झार और ओड़ाझार टीला	:	25.971 एकड़ (लगभग)

विनियमित क्षेत्र:

पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार टीले: 115.827 एकड़ (लगभग)

मुख्य विशेषताएं:

श्रावस्ती बौद्ध धर्म की प्राचीन विरासत का एक विशिष्ट प्रमाण है, यहाँ कभी समृद्ध मठवासी समुदाय था जो अब पुरातात्विक अवशेषों के रूप में मौजूद है। इनमें से संरक्षित संस्मारक - जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार के नाम से जाना जाता है - महत्वपूर्ण पुरातात्विक टीले हैं। ऐतिहासिक महत्व से परिपूर्ण ये टीले एक अन्य संरक्षित संस्मारक के निकट स्थित हैं, जिसे स्थानीय रूप से सहेट-महेट के नाम से जाना जाता है।

तीन टीले - पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार - प्रत्येक की अपनी अलग संरक्षित सीमाएँ हैं और वे एक दूसरे के करीब स्थित हैं (स्थल योजना के लिए **अनुलग्नक I, III(क), III(ख) और III(ग) देखें**)। पनहिया झार के संरक्षित क्षेत्र में जमीन से 110 से.मी. की ऊँचाई पर एक टीला है, जबकि खरहउवा झार का टीला 90 सेमी ऊँचा है। हालाँकि, ओड़ाझार टीला जमीन से काफी ऊपर तक पहुँचता है। इस टीले के भीतर उत्तर की ओर मुख किए हुए एक ढांचे की ऊँचाई 2.7 मीटर है, जबकि पूर्व की ओर मुख किए हुए एक अन्य ढांचे की ऊँचाई 75 से.मी. है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

ओड़ाझार और खरहउवा झार टीलों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र ओवरलैप होते हैं, जबकि पनहिया झार का प्रतिषिद्ध क्षेत्र दोनों से सटा हुआ है। इसके अलावा तीनों टीलों के विनियमित क्षेत्रों की सीमाएँ ओवरलैप होती हैं, जो एक एकीकृत विनियमित क्षेत्र बनाती हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र एनएच-730 द्वारा प्रतिच्छेदित है और इसकी विशेषता मुख्य रूप से कृषि भूमि, साथ ही जल स्रोत हैं, जहाँ इमारतों का निर्माण अपेक्षाकृत कम प्रतिशत में होता है।

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र (ओड़ाझार और खरहउवा झार टीले):</u>

ओड़ाझार और खरहउवा झार टीलों के प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में एनएच-730 के साथ पूर्व दिशा की ओर स्थित एक और दो मंजिला आवासीय इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त, एक मंजिला स्कूल भवन ओड़ाझार टीले के उत्तर में स्थित है जो एनएच-730 से निकलने वाली एक पहुंच सड़क के कोने पर स्थित है जो कंदभरी गांव की ओर जाती है। खरहउवा झार टीले की संरक्षित सीमा के समीप एक छोटा पंप हाउस है जिसमें एक सिंचाई पंप है।

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र (पनहिया झार टीला):</u>

पनहिया झार के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में चारदीवारी और वाट थाई चेतवन महाविहार के परिसर के भीतर एक बौद्ध मंदिर के एक हिस्से के अलावा कोई महत्वपूर्ण निर्मित संरचना नहीं है।

<u>विनियमित क्षेत्र:</u>

विनियमित क्षेत्र को एक सड़क (एनएच-730) द्वारा प्रतिच्छेदित किया गया है जो कि थोड़ा पूर्व-पश्चिम अक्ष पर चलती है। सड़क के दक्षिणी भाग में कई महत्वपूर्ण निर्मित संरचनाएं हैं।

ओड़ाझार टीले के पश्चिम में विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित होटल प्लेटिनम श्रावस्ती एक भूतल + चार मंजिला (जी+4) संरचना है और ओड़ाझार टीले के पूर्व में एक और दो मंजिला आवासीय इमारतें हैं।

पूर्व में विनियमित क्षेत्र के भीतर वाट थाई चेतवन महाविहार बौद्ध मंदिर परिसर है। इस परिसर में मंदिर, गेस्ट हाउस और सहायक इमारतों सहित विभिन्न संरचनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महारजया थुखा बौद्ध मंदिर परिसर का एक हिस्सा भी इस क्षेत्र में मौजूद है।

पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों के उत्तर में विनियमित क्षेत्र के भीतर एक गन्ना अनुसंधान और बीज गुणन केंद्र है, साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय का एक हिस्सा भी है। पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों के पश्चिम में विनियमित क्षेत्र के भीतर एक दुर्गा मंदिर है, साथ ही उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक हिस्सा भी है।

उल्लेखनीय रूप से, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में एनएच-730 के समीप सड़क किनारे भोजनालयों की स्थापना का चलन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और समय के साथ इसके विस्तार का अनुमान है। हालांकि ये निर्माण मुख्य रूप से अस्थायी हैं, लेकिन भविष्य में इनके स्थायी ढाँचों में तब्दील होने की संभावना है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

पूर्व: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पूर्वी दिशा में हरे/खुले स्थान मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूप में मौजूद हैं। हालाँकि, थाई चेतवन महाविहार मंदिर/मठ परिसर जैसे विभिन्न परिसरों में भी बागों, तालाबों और हरित क्षेत्रों के रूप में हरे/खुले स्थान मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में पश्चिमी दिशा में हरे/खुले स्थान मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूप में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इस दिशा में एक बाग, एक तालाब और एक विद्युत सब-स्टेशन का कुछ हिस्सा है।

उत्तर: उत्तरी दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर हरे और खुले स्थान मुख्य रूप से कृषि भूमि से बने हैं, जबकि विनियमित क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गन्ना अनुसंधान एवं बीज गुणन केंद्र सहित कई परिसर हैं। इन परिसरों में हरित क्षेत्र, सड़कें, बाग-बगीचे, खेल के मैदान, पार्किंग क्षेत्र और तालाब शामिल हैं।

दक्षिण: दक्षिणी दिशा में प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र हैं, जिनमें एक बड़े तालाब के रूप में एक प्रमुख जल स्रोत है।

5.2.4 परिसंचरण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र-सड़कें, फुटपाथ आदि:

पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार टीलों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर परिसंचरण क्षेत्र न्यूनतम है। तीनों टीलों में से केवल ओड़ाझार तक ही सीधी सड़क पहुंच है, जबकि अन्य दो में संपर्क सड़कें नहीं हैं।

ओड़ाझार टीलों तक पहुँच मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-730 द्वारा सुगम है जो बलरामपुर जिले को बहराइच जिले से जोड़ता है तथा यह ओड़ाझार टीले की उत्तर-पूर्वी सीमा से सटा हुआ है। पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों तक पहुँच मुख्य रूप से लगभग 4.5 मीटर चौड़ी पहुँच सड़क द्वारा सुगम है जो कंदभरी गाँव को एनएच-730 से जोड़ती है। इन सड़कों के किनारे अलग से कोई पगडंडी नहीं है।

सभी तीनों टीले - पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार के संरक्षित क्षेत्र में कोई आंतरिक पैदल पथ नहीं है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

पूर्व: पूर्वी दिशा में इमारतें आम तौर पर एक मंज़िल (जी) से लेकर दो मंज़िल (जी+1) तक की हैं, जो मुख्य रूप से वाट थाई चेतवन महाविहार बौद्ध मंदिर परिसर में मौजूद हैं। हालाँकि, महाराजया थुखा बौद्ध मंदिर परिसर में तीन मंज़िल (जी+2) वाली कुछ संरचनाएँ मौजूद हैं।

पश्चिम: पश्चिमी दिशा में निर्माण बहुत कम हैं। हालांकि, विनियमित क्षेत्र में स्थित होटल प्लेटिनम श्रावस्ती पांच मंजिला (जी+4) संरचना के रूप में अलग से दिखाई देता है।

उत्तर: उत्तर दिशा में जवाहर नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और गन्ना अनुसंधान एवं बीज गुणन केंद्र के परिसरों में स्थित इमारतें आम तौर पर दो मंजिला (जी+1) से लेकर तीन मंजिला (जी+2) तक की होती हैं। हालांकि, चार मंजिला (जी+3) वाली कुछ संरचनाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस दिशा में बिजली के ट्रांसमिशन टावर क्षितिज पर छाए रहते हैं।

दक्षिण: दक्षिणी दिशा में संरचनाओं में एक मंजिला (जी) और दो मंजिला (जी+1) आवासीय भवन शामिल हैं, साथ ही एनएच-730 के समीप सड़क किनारे भोजनालय भी स्थित हैं।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में कोई भी राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन मौजूद नहीं हैं।

हालाँकि, निकट में ही एक और संरक्षित संस्मारक है - "सहेट महेट का स्थल, तहसील - इकौना और बलरामपुर सदर, जिला - श्रावस्ती और बलरामपुर, उत्तर प्रदेश"।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

पनहिया झार और खरहउवा झार टीले, ओड़ाझार टीले के करीब होने के बावजूद, पर्यटकों और बौद्ध तीर्थयात्री कम संख्या में यात्रा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में सुविधाओं की कमी है। इसके विपरीत, ओड़ाझार टीला, तीनों में से सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला टीला है, जिसमें पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप, एक गार्ड रूम, एक प्रवेश द्वार और एक चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

ओड़ाझार टीले तक एनएच-730 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जबकि पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों तक 4.5 मीटर चौड़ी पहुंच सड़क से जुड़ी कच्ची सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जो कंदभरी गांव को एनएच-730 से जोड़ती है।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सेवाएँ हैं। आगंतुक पार्किंग ओड़ाझार टीले के परिसर के बाहर स्थित है, जो अक्सर व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ वाला हो जाता है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

श्रावस्ती महायोजना 1991-2031 में परिभाषित अनुसार संरक्षित संस्मारक 'स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ाझार के नाम से जाने जाने वाले टीले जो बलरामपुर मार्ग पर सहेत-महेट (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेषों के पास स्थित हैं' के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आते हैं। अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक-IV देखें।

अध्याय VI
संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

संरक्षित संस्मारकों का बहुत बड़ा वास्तुशिल्प महत्व है क्योंकि ये बौद्ध परंपरा को दर्शाते हैं और मठों के इतिहास को बयान करते हैं। सहेट महेट के स्थलों में ये सदियों पुराने स्तूप, राजसी विहार और कई मंदिर श्रावस्ती के साथ बौद्ध संबंध स्थापित करते हैं। संस्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों से कई प्राचीन मूर्तियाँ और शिलालेख खोदे गए हैं जो इस स्थान के साथ भगवान बुद्ध के इतिहास और संबंध को बताते हैं। हालाँकि इन अवशेषों के वास्तुशिल्प तत्व बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों द्वारा उनकी श्रद्धा उनके समग्र मूल्य को बढ़ाती है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

(i) ओड़ाझार टीला एनएच-730 के समीप स्थित है, जहाँ सड़क किनारे भोजनालयों की स्थापना एक बढ़ती प्रवृत्ति है और इनके जारी रहने की उम्मीद है। हालाँकि ये संरचनाएँ वर्तमान में अस्थायी हैं, लेकिन भविष्य में इनके स्थायी संरचनाओं में बदलने की संभावना है, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और संस्मारक के मूल्य को खतरा हो सकता है।

(ii) संरक्षित संस्मारक बलरामपुर जिले के शहर के केंद्र से लगभग 19 कि.मी. और इकौना तहसील से लगभग 10 कि.मी. दूर स्थित हैं। भविष्य में इस स्थल पर शहरी विस्तार का दबाव हो सकता है।

(iii) पिछले दशक में ओड़ाझार, पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों के विनियमित क्षेत्रों में कई निर्माण परियोजनाएं हुई हैं, जैसे वाट थाई चेतवन महाविहार, होटल प्लेटिनम श्रावस्ती, गन्ना अनुसंधान और बीज गुणन केंद्र और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(iv) एनएच-730 जो ओड़ाझार टीले से सटा हुआ है, पर भारी यातायात के कारण कंपन उत्पन्न हुआ।

(v) राप्ती नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्र में स्थित पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार टीले भी कटान के प्रति संवेदनशील हैं।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

<u>संरक्षित संस्मारक से दृश्यता:</u>

ओड़ाझार टीला तीनों टीलों में सबसे खड़ा है। इसके ऊपर से पूरे इलाके का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इलाके के ग्रामीण परिदृश्य में गांव की बस्ती, खुले मैदान, तालाब, बाग और कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा, उत्तरी तरफ बिजली ग्रिड/सबस्टेशन और सभी दिशाओं में होटल, मठ, संस्मारक, संस्मारक संरचनाओं जैसे नए निर्माण ओड़ाझार टीले के ऊपर से दिखाई देते हैं।

पनहिया से दृश्यता झार और खरहउवा झार टीले क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य तक ही सीमित हैं (जैसा कि ऊपर बताया गया है), जो चारों ओर नए निर्माणों से भरा हुआ है। दक्षिणी दिशा की ओर ओड़ा झार टीला सहित दोनों टीलों से दृश्यता क्षितिज पर छा गई।

<u>विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:</u>

विनियमित क्षेत्र से दृश्यता की विशेषता ग्रामीण परिदृश्य जैसे खुले मैदान, तालाब, बाग और कृषि भूमि भी है। पनहिया झार और खरहउवा झार टीलों की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए विनियमित क्षेत्र से संरक्षित संस्मारक तक दृश्यता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि बड़े पेड़ खरहउवा झार टीलों की संरक्षित सीमा पर स्थित हैं और लगभग 2.1-2.4 मीटर ऊंची एक भौतिक चारदीवारी दिखाई देती है।

इसके विपरीत ओड़ाझार टीला तीनों टीलों में सबसे अधिक ढलान वाला है तथा विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

जैसा कि श्रावस्ती महायोजना 1991-2031 प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना में रेखांकित है **(अनुलग्नक-IV देखें);**

(i) संस्मारकों के संरक्षित एवं प्रतिषिद्ध क्षेत्र को मुख्यतः कृषि भूमि-उपयोग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) विनियमित क्षेत्र का अधिकांश भाग कृषि भूमि उपयोग के रूप में भी निर्दिष्ट है। हालाँकि, विनियमित क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, विशेष रूप से एनएच-730 के दोनों किनारों पर पश्चिमी भाग में, जहाँ प्रस्तावित भूमि-उपयोग में आवासीय और पर्यटन-संबंधी उपयोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान होटल प्लेटिनम श्रावस्ती आवासीय भूमि उपयोग क्षेत्र के भीतर स्थित है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

श्रावस्ती से जुड़ी पौराणिक कथाएं, इसका इतिहास, ह्वेन त्सांग और फाहियान जैसे प्रसिद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में वर्णन, धार्मिक ग्रंथ, पुरातात्विक अवशेषों के रूप में भौतिक साक्ष्य, साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उत्खनन रिपोर्ट और पुराने ऐतिहासिक मानचित्र, सभी मिलाकर संकेत देते हैं कि यह पूरा क्षेत्र एक समृद्ध पुरातात्विक विरासत का दावा करता है।

प्रतिषिद्ध, विनियमित के रूप में नामित क्षेत्र तथा उनके आस-पास की भूमि में महत्वपूर्ण पुरातात्विक क्षमता मौजूद है, जो धरती की परतों के भीतर दबी हुई है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

श्रावस्ती सांस्कृतिक सद्भाव और मेलजोल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यहाँ सहेट, महेट, पनहिया झार, खरहउवा झार और ओड़ाझार टीलों में सदियों पुराने स्तूप, भव्य मठ और कई मंदिर हैं, जो भगवान बुद्ध के श्रावस्ती से जुड़ाव को स्थापित करते हैं। ये बौद्ध संस्मारक

सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं जो काफी क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह आठ बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के भक्त और अनुयायी भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने और क्षेत्र के आध्यात्मिक माहौल में खुद को डुबोने के लिए श्रावस्ती की यात्रा करते हैं।

श्रावस्ती के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली राप्ती नदी इसके समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य में चार चांद लगाती है। ऐतिहासिक रूप से यह नदी मठों की स्थापना के लिए एक शांत वातावरण और आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करती थी, एक ऐसा वातावरण जिसकी कल्पना स्वयं भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल के रूप में की थी। आज भी श्रावस्ती में मठवासी परंपरा फल-फूल रही है, जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की चाह रखने वाले आगंतुकों के लिए विभिन्न समकालीन मठ और ध्यान केंद्र हैं। ये केंद्र शिक्षण केंद्रों के रूप में काम करते हैं।

बौद्ध धर्म के अलावा, यहाँ कई ब्राह्मण मंदिर, जैन मंदिर और मध्ययुगीन मकबरे हैं, जो इस क्षेत्र की विविध धार्मिक विरासत को दर्शाती हैं। उल्लेखनीय है कि श्रावस्ती का जैन धर्म में भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह तीसरे तीर्थंकर सम्भवनाथ का जन्मस्थान है। देश भर से जैन श्रद्धालु श्रावस्ती के जैन मंदिर में श्रद्धा व्यक्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायता करता है:

श्रावस्ती में संरक्षित संस्मारकों का स्थान और वातावरण एक आदर्श बौद्ध मठ के साथ पूरी तरह से मेल खाता है जो शांति, आध्यात्मिक विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव की भावना को पोषित करता है। हालाँकि इस स्थल के प्रामाणिक प्राकृतिक परिदृश्य का विवरण देने वाले कोई निश्चित साक्ष्य या लिखित रिकॉर्ड नहीं हैं, लेकिन वर्तमान प्राकृतिक परिवेश इसके शांत चरित्र को दर्शाता है और मौजूदा पुरातात्विक अवशेषों के लिए एक सहायक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जो उन्हें संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है। खुले क्षेत्रों का उपयोग मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदाय को सहारा मिलता है और परिदृश्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को संरक्षित किया जाता है।

6.8 खुले स्थान और भवनों का उपयोग:

संस्मारक के आसपास की खुली जगह का उपयोग मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूप में किया जाता है। नए निर्माणों में आम तौर पर मौजूदा गांव की बस्तियों का विस्तार, नए मठों, होटलों, शैक्षणिक संस्थानों और कुछ बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं का निर्माण शामिल है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

ओड़ाझार और अन्य स्थलों पर तीर्थयात्रियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत और धार्मिक महत्व में गहराई से निहित हैं। इन गतिविधियों में पूजा-अर्चना और प्रसाद चढ़ाना, पवित्र संस्मारकों के चारों ओर परिक्रमा करना, ध्यान लगाना और बौद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करना शामिल है।

इन पुरातात्विक स्थलों की तीर्थयात्रा बौद्ध धार्मिक प्रथाओं का अभिन्न अंग है जो आध्यात्मिक कायाकल्प और समुदाय के भीतर जुड़ाव प्रदान करती है। इन स्थलों पर आयोजित अनुष्ठान और त्यौहार जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म की विरासत का जश्न मनाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थलों

पर शैक्षिक कार्यक्रम बौद्ध शिक्षाओं, इतिहास और संस्कृति को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित और साझा करने का काम करते हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संस्मारक से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संस्मारक से क्षितिज सभी दिशाओं में फैला हुआ है जो अलग-अलग ऊंचाइयों और परिदृश्यों को दर्शाता है। पूर्व की ओर क्षितिज पर शांत हरियाली और वास्तुशिल्प संरचनाओं का बोलबाला है जिसकी विशेषता थाई चेतवन महाविहार मंदिर परिसर के भीतर के बाग और उससे जुड़ी इमारतें हैं। पश्चिम की ओर बाग और कृषि भूमि क्षितिज पर बिखरी हुई है, साथ ही डैन महामोंगकोल थाई मठ है, जो आसपास का सबसे बड़ा मठ परिसर है। इसका पगोडा के आकार का ऊंचा ध्यान कक्ष और भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा पश्चिमी क्षितिज को प्रमुखता से परिभाषित करती है जो प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों से ध्यान आकर्षित करती है।

उत्तर की ओर क्षितिज पर जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर, गन्ना अनुसंधान एवं बीज गुणन केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के विशाल विद्युत सब-स्टेशन की भव्य इमारतें स्थित हैं जो क्षेत्र के शहरी स्वरूप में योगदान देती हैं।

दूसरी ओर दक्षिणी क्षितिज पर ओड़ाझार टीला हावी है तथा कुछ बिखरी हुई आवासीय इमारतें और होटल प्लेटिनम श्रावस्ती की प्रमुख उपस्थिति है।

विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला क्षितिज:

इस भू-भाग की विशेषता ओड़ाझार, खरहउवा झार और पनहिया झार टीलों की मौजूदगी है। एनएच-730 भू-भाग को काटता है जो मुख्य रूप से खुली कृषि भूमि को सामयिक जल स्रोतों से अलग करता है।

कुल मिलाकर क्षितिज कृषि विस्तार, सांस्कृतिक स्थलों और तेजी से बढ़ते विकास का मिलाजुला रूप प्रस्तुत करता है जो परंपरा और प्रगति दोनों से आकार लेने वाले एक गतिशील और विकसित परिदृश्य को दर्शाता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

विनियमित क्षेत्र के बाहर स्थित हुसैन जोत, चक्र भंडार और कंदभरी गांवों में कुछ पारंपरिक मिट्टी के पुराने घरों को छोड़कर, जिनकी छतें फूस की हैं, संस्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है। यह पारंपरिक घर आस-पास के गांवों में भी आम है, जो आम तौर पर स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

इसे **अनुलग्नक IV** पर देखा जा सकता है।

6.13 अनुमत भवन संबंधी मानदंड:

6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन, इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की विरासत की विशेषताओं के अनुरूप और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 की धारा 2(के) में परिभाषित किया गया है। विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 सी (2) और नियम 6(IV) और नियम 7 एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के अनुसार दी जाती है। संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार की इमारत या संरचना के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गई और मरम्मत से परे पाई गई, पुनर्निर्माण की अनुमति नियम 16 एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के अनुसार दी जाती है। अग्रभाग में असंगत सामग्रियों जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। नई संरचना संरक्षित स्मारकों और उसके आस-पास के क्षेत्र के विरासत चरित्र के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सुसंगत होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3. क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण, जिसमें

जनता के लिए आवश्यक कोई सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण शामिल है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3. ख विनियमित क्षेत्र:

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित 'श्रावस्ती महायोजना-1991-2031' तथा 'विकास प्राधिकरण: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2011, 2016 एवं 2018)' में विनिर्दिष्ट समस्त विकास नियंत्रण मानदण्ड एवं भवन विनियम जब भी संशोधित होंगे, लागू होंगे।

इस धरोहर उप-विधि में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं।

संरक्षित संस्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरातात्विक विशेषताएं हैं, जो अपार पुरातात्विक क्षमता का संकेत देती हैं।

2 उपयोग:

i. श्रावस्ती महायोजना, प्रस्तावित भूमि उपयोग-1991-2031 के अनुसार आस-पास के क्षेत्र की सामान्य विशेषता मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के रूप में बनाए रखी जानी चाहिए। मौजूदा कृषि भूमि उपयोग पर केवल निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले निर्माण ही अनुमेय होंगे। कृषि भूमि पर इन छूटों में खेती में लगे लोगों के लिए आवास और सहायक भवन जैसे फसल, चारा, खाद, कृषि उपकरण का भंडारण और अन्य समान गतिविधियों का निर्माण शामिल हैं।

ii. विनियमित क्षेत्र के भीतर किसी भी नए वाणिज्यिक विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. विनियमित क्षेत्र के भीतर मूर्तियां, प्रतिमाएं, स्मारक, संस्मारक संरचनाएं या किसी अन्य प्रकार की कलात्मक या स्मारक स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3 अग्रभाग डिजाइन:

i. स्थानीय रूप से उपलब्ध पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग करके स्थानीय वास्तुकला को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक पर हावी न हो। बाहरी अग्रभाग पर क्लैडिंग या पैनलिंग के उपयोग जैसी किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने वाली सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी हस्तक्षेपकारी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. रंगीन चमकदार अग्रभाग के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4 छत का डिज़ाइन:

i. सपाट छत का डिजाइन अपनाया जाना चाहिए तथा किनारों पर कम ऊंचाई वाली पैरापेट दीवारें बनाई जानी चाहिए।

ii. इमारतों की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी का भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्वों) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

iv. नई इमारत की छतें अपने आस-पास की छतों की विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वे आस-पास की ऐतिहासिक इमारतों की छत के आकार, दिशा और ढलान के साथ विपरीतता पैदा न करके, दृष्टिगत रूप से संगत होनी चाहिए।

5 निर्माण सामग्री:

i. स्थानीय निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बांस, पत्थर, लकड़ी, चूने का प्लास्टर, फूस की छत और अन्य ऐसी सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ii. संस्मारक की सभी सड़क अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है।

iii. आधुनिक भवन निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और अन्य सिंथेटिक टाइलें या सामग्री का बाहरी परिसज्जा के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6 रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7 अन्य विनियम:

फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएँ और साधन:

संरक्षित संस्मारक के समीप आगंतुक सुविधाओं और साधनों जैसे रोशनी, स्वच्छ और चालू हालत में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए छाया और बेंचों की व्यवस्था तथा उचित संकेत और सूचना बोर्ड लगाने पर व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के प्रवेश द्वार की आसानी से पहचान के लिए उचित संकेत लगाए जा सकते हैं। संकेत इस तरह से लगाए जा सकते हैं कि संरक्षित संस्मारक की दृश्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ii. सभी संकेत चिह्न संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की विरासत की विशेषता के अनुरूप और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

iv. संरक्षित संस्मारक के निकट, विशेषकर संरक्षित संस्मारक की दीवारों पर, होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

v. स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी हो सकती हैं।

vi. बाढ़ संभावित क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय की अनुमति दी जा सकती है।

vii. विनियमित क्षेत्र के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनियां और ओवरहेड पानी की टंकियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें विनियमित क्षेत्र से बाहर स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

viii. यदि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 730) का चौड़ीकरण किया जाता है, तो वह संस्मारक की संरक्षित सीमा से दूर होना चाहिए।

ix. संरक्षित संस्मारक तक पहुंचने के लिए सड़क पर अतिक्रमण को कठोरता से निषिद्ध किया जाना चाहिए।

x. सड़क के किनारे सभी अस्थायी संरचनाओं जैसे ढाबों/वर्कशाप/सड़क किनारे विक्रय कियोस्क आदि को संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित किया जा सकता है।

xi. संरक्षित संस्मारक के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और होने वाले कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

xii. वर्षा जल संचयन आदि श्रेष्ठ प्रणालियों सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. व्यापक यातायात मूल्यांकन करने की सिफारिश की जाती है, ताकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और यातायात पैटर्न की पहचान की जा सके, जो संरक्षित स्मारकों की संरचनात्मक अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।

ii. स्थानीय निकाय, आस-पास के क्षेत्र में मौजूद ऊंचाई को नियंत्रित करने और क्षितिज (बिना किसी ऊंची इमारत या बहुमंजिला विकास के) को बनाए रखने के लिए वास्तुशिल्प डिजाइन तत्वों और संरक्षण सिद्धांतों से संबंधित वास्तुशिल्प नियंत्रण दिशानिर्देश तैयार कर सकता है, ताकि ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य के मूल्य और सौंदर्य को कम या नष्ट न किया जा सके।

iii. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रावधान किए जाने चाहिए।

iv. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

v. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Protected Monument **"Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the Architectural Heritage Division, INTACH, New Delhi were published on 11.08.2021, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely: -

Heritage Bye-Laws for Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

CHAPTER I

Preliminary

1.1 Short title, extent and commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Protected Monument – **Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh.**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:-

   (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes:-

      (i) the remains of an ancient monument,

      (ii) the site of an ancient monument,

      (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

      (iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

   (b) archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

      (i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

      (ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

   (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

   (d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

   (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

   (f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

      Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

   (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for

supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A;

(n) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B of this Act;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "Repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Protected Monuments . The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments . The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Protected Monument – Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh.

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Protected Monument, **"Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)"**, is located in the North-Eastern part of Uttar Pradesh. The notification consists of three Mounds known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar and Ora Jhar. All the three mounds fall in present day Balrampur District, Devi Patan Division of Uttar Pradesh.

The Geographical coordinates of their locations are as follows:

(i) **Penahia Jhar Mound** **:** Lat: 27°30'08.64"N; Long: 82°03'14.46"E.
(ii) **Kharahua Jhar Mound** **:** Lat: 27°30'07.34"N; Long: 82°03'05.83"E.
(iii) **Ora Jhar Mound** **:** Lat: 27°30'01.06"N; Long: 82°03'08.51"E.

Figure 1: Satellite imagery showing location of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar

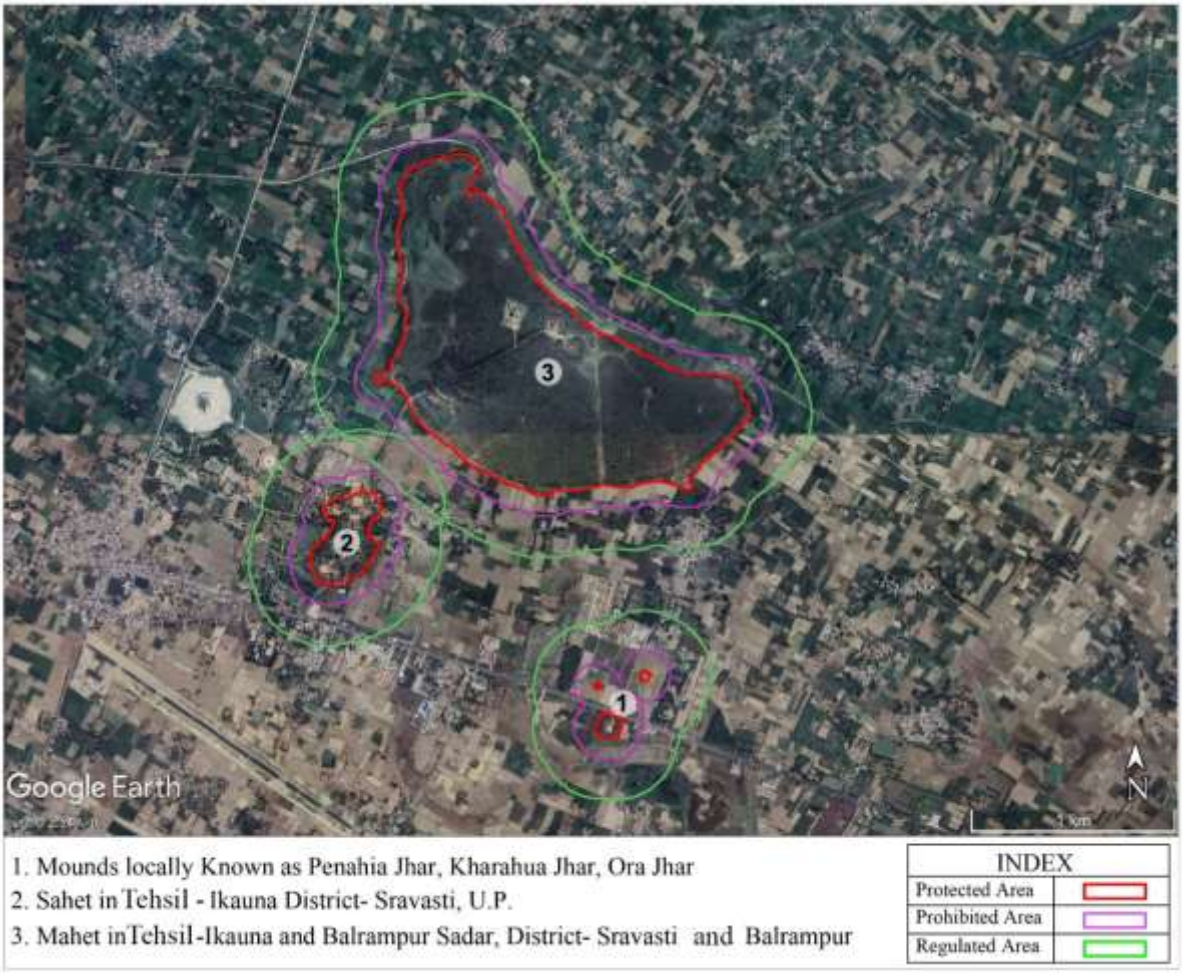

Figure 2: Satellite imagery showing Cluster of all the Protected Monuments in the vicinity

Ora Jhar is situated on the left bank of Khajua, a tributary of Rapti. In close vicinity of Ora Jhar and South of Southern city-wall (Mahet) there are two small mounds locally known as Penahia Jhar and Kharahua Jhar. Among the three Mounds, Ora Jhar is the steepest mound. All the three Mounds are located in a rural setting surrounded by orchards, water bodies, agricultural land along with a few new buildings such as schools, hotels and Buddhist Temples/Monasteries. Another Protected Monument in the vicinity is **"The site of Sahet Mahet in Tehsils – Ikauna and Balrampur Sadar, District –Shravasti and Balrampur, Uttar Pradesh."**

Historically, Shravasti was one of the ancient cities celebrated in the annals of Buddhism and is now represented by a group of archaeological sites and remains, such as the sites of Sahet-Mahet, together with adjacent archaeological sites and remains such as Ora Jhar, Panahia Jhar, Kharahuwan Jhar, Purvaram Maha Vihara, Baba Baninath, and other potential archaeological sites in the form of mounds.

Situated in the Tarai belt, a lowland region in the foothills of the Himalayas, Shravasti has a unique geographical setting. It is strategically located near the Rapti River. The Protected Monument is approximately 4 kilometers South of the River Rapti, nestled amidst natural resources and fertile land. Its geographical location has always contributed to Shravasti's historical prominence and cultural heritage.

The Protected Monument is well-connected by road, rail, and air. National Highway-730 (NH-730) runs adjacent to the Protected Monument, providing easy access and connectivity to other Buddhist Pilgrimage Sites such as Kushinagar, Siddharth Nagar, Sankisa, Kaushambi, and Varanasi by road. The nearest railway station to the Protected Monument is Balrampur Junction, approximately 19 kilometers away. The nearest domestic airport is Shravasti Airport, located approximately 3 kilometers, and the nearest International Airport is Chaudhary Charan Singh International Airport in Lucknow, located approximately 175 kilometers from the Protected Monument.

3.2 Protected Boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Protected Monument – 'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)', District-Balrampur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-I.**

3.2.1. Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification -'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)', District-Balrampur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II.**

3.3 History of the Monuments:

Shravasti was one of the ancient cities celebrated in the annals of Buddhism. Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar and Ora Jhar are integral parts of Shravasti.

Shravasti, was once the capital of the ancient kingdom of Kosala, where Lord Buddha, after attaining enlightenment, made Shravasti as his annual rainy season retreat. The town played host to Lord Buddha for 25 years. It is believed to have been founded by the mythological King Shravast (hence named after him); the site holds ruins of many ancient stupas, majestic monasteries, and beautiful temples. This place also has an Anand Bodhi tree, an offspring of the original Mahabodhi tree, planted by Lord Buddha's main disciple Anathapindika.

The earliest references to the city are available in the Ramayana and Mahabharata as a prosperous city in the kingdom of Kosala. In the Puranas, it is described as the capital of North Kosala. Panini, in his Astadhyayi, mentions Kosala, while Pali Buddhist literature also makes numerous references to Kosala, its history, and society. In later times, it was also known as 'Chandrikapuri' and 'Champakpuri'. Kalidasa refers to it as 'Shravasti', and Anguttara Nikaya mentions Kosala as one of the sixteen great Janapadas.

In the 6th century BCE, during the reign of Presenajit, the place rose to fame due to its association with Lord Buddha and Lord Mahavira, becoming one of the eight holy places of Buddhist pilgrimage. Buddha is said to have spent 24 rainy seasons here after his disciple Anathapindika built a monastery for him at Jetavana. Buddha is also said to have performed the 'Great Miracle' here when challenged by other

sects. The reformation of the robber Angulimala was also one of the stirring episodes of that period. Some well-known bhikshunis hailed from this place, including Visakha, Sumana, and others.

King Asoka is said to have visited the place and erected two pillars on the Eastern gate of Jetavana. Besides, he also built a stupa in the vicinity. During the time of the Kushans, Buddhism became a popular religion with royal support. The place was also mentioned by Fa-hien and Hiuen Tsang in their travel accounts.

3.4 Description of the Monuments (architectural features, elements, materials etc.):

Ora Jhar is situated on the left bank of Khajua a tributary of River Rapti in District-Balrampur, Uttar Pradesh. It may be identified with the celebrated 'Purvarama' or Eastern Monastery, built by Vishakha as mentioned by Fa-hien. Excavations here have revealed a three-fold cultural sequence, starting from the Kushana period (1st cent. CE) followed by the Gupta and medieval periods.

The Kushana period has revealed remains of a monastic complex with the usual plan. The Gupta period is witnessed in the form of a plinth of a temple which is enclosed by a wall. The medieval period revealed a star-like structure at the top of the Gupta temple.

In close vicinity to Ora Jhar and South of Southern city-wall, there are two small mounds locally known as Penahia Jhar and Kharahua Jhar where excavations were conducted by the Archaeological Survey of India.

In Ora Jhar mound, the excavation revealed solid brick structure 16.20m in diameter. In its core was a relic-receptacle, yielding pieces of bone, some gold leaves, rock-crystal, circular laminae of silver and a punch-marked silver coin. The second structure was also circular, with a diameter of 31.50m, made of three concentric brick walls, the intervening spaces being filled with clay. It did not yield any relic-casket in its core. **[Refer Annexure-III(a), III(b) and III (c)]**

3.5 Current Status:

3.5.1. Condition of the Monument - condition assessment

The maintenance and preservation of the Protected Monument and its Protected Areas is the exclusive domain of Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present conditions of the Monument is appended in **Annexure V.**

3.5.2. Daily footfalls and occasional gathering numbers

Around 5-10 visitors visit Penahia Jhar and Kharahua Jhar per day, while around 100-500 visitors visit Ora Jhar daily. Ora Jhar is visited by locals and visitors from Sri Lanka, Nepal, Tibet, etc. On Buddha Purnima, the number of visitors increases to 1000 per day.

CHAPTER IV

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

(i) The Uttar Pradesh State Government had proposed a Shravasti Regulated Area, encompassing the land within Shravasti town and the adjacent six villages (Gangapur Banki, Ghoghulpur, Khargupur, Chakar Bhandar, Rajgarh-Gulhariya, and Katra); vide notification No. 2640/XXXVII-3-84/119-N.K.V.-78 Lucknow, Dated July 26, 1984 and 3448/9-A-3-98-199N.K.V./78 Lucknow, Dated December 15, 1998.

The Protected Monument – 'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)', falls within the Chakar Bhandar village. The regulations outlined in the Shravasti Mahayojana 1991-2031 for Shravasti Regulated Area — will be applicable.

(ii) The regulatory framework delineated in the Shravasti Mahayojana, Land Use Plan - 1991-2031, will dictate the development and land utilization within this area. The plan designates Protected Monument – 'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)' as **'Agricultural Land'.**

(iii) Shravasti Mahayojana 1991-2031 also includes a boundary designated as (Nishiddh Kshetr). The Protected, Prohibited, and Regulated Boundaries 'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)' fall within the Nishiddh Kshetr. Refer to **Annexure-IV** for further details.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The Existing Guidelines of the local bodies related to development control and building regulations is in accordance with 'Shravasti Mahayojana - 1991-2031' and 'Development Authority: Building Construction and Development Bye-Laws, 2008 (as amended in 2011, 2016, and 2018), published by the Department of Housing and Urban Planning, Uttar Pradesh' as per Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act-1973.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)

For Survey Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh may be seen in **Annexure- I.**

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1. Prohibited Area and Regulated Area details:

Protected Area:

Penahia Jhar Mound : 0.425 Acres (Approximately)

Kharahua Jhar Mound: 0.113 Acres (Approximately)

Ora Jhar Mound : 3.137 Acres (Approximately)

Prohibited Area:

Penahia Jhar Mound : 11.665 Acres (Approximately)

Kharahua Jhar and Ora Jhar Mound : 25.971 Acres (Approximately)

Regulated Area:

Penahia Jhar, Kharahua Jhar and Ora Jhar Mounds: 115.827 Acres (Approximately)

Salient Features:

Shravasti stands as a distinguished testament to Buddhism's ancient legacy, its once-thriving monastic community now existing in the form of archaeological remains. Among these, the Protected Monuments locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, and Ora Jhar are significant archaeological mounds. These mounds, resonating with historical significance, are situated in close proximity to another Protected Monument locally known as Sahet-Mahet.

The three mounds Penahia Jhar, Kharahua Jhar, and Ora Jhareach have their own distinct Protected Boundaries and are located close to one another (refer to **Annexure I, III(a), III(b) and III(c)** for site plans). The Protected Area of Penahia Jhar has a mound rising to a height of 110 cm from the ground, while the mound of Kharahua Jhar stands at 90 cm. However, the Ora Jhar mound reaches a significant steep elevation above ground level. Within this mound, a structure facing North measures 2.7 meters in height, while another structure facing East stands at 75 cm.

5.2.2. Description of built up area:

The Prohibited Areas of Ora Jhar and Kharuhua Jhar mounds overlap, whereas Prohibited Area of Penahia Jhar is adjacent to both. Furthermore, the Regulated Areas of all three mounds have overlapping boundaries, forming a unified Regulated Area. The Prohibited and Regulated Area is intersected by NH-730 and is characterized predominantly by agricultural land, along with water bodies, with a relatively low percentage of building footprint.

Prohibited Area (Ora Jhar and Kharuhuajhar Mounds):

Within the Prohibited Areas of Ora Jhar and Kharuhua Jhar mounds, there are single and double-storey residential buildings located towards the East direction along NH-730. Additionally, a single-storey school building is situated to the North of the Ora Jhar mound, positioned at the corner of an approach road originating from NH-730, leading towards Kandbhari Village. A small pump house, accommodating an irrigation pump, is located adjacent to the Protected Boundary of the Kharuhua Jhar mound.

Prohibited Area (Penahia Jhar Mound):

The Prohibited Area of Penahia Jhar does not have any significant built-up structure other than the boundary wall and a portion of a Buddhist temple within the premises of Wat Thai Chetavan Mahavihar.

Regulated Area:

The Regulated Area is intersected by a road (NH-730) running on a slightly East-West axis. Along the Southern part of the road, there are several notable built-up structures.

Hotel Platinum Shravasti, located within the Regulated Area to the West of Ora Jhar mound, is a Ground plus four-storey (G+4) structure and to the East of Ora Jhar mound there are single and double-story residential buildings.

To the East of Penahia Jhar and Kharuhua Jhar mounds, within the Regulated Area, there is the Wat Thai Chetavan Mahawihar Buddhist temple complex. This complex comprises various structures including temples, guest houses, and ancillary buildings. Additionally, a portion of the MaharzayaThukha Buddhist Temple complex is also present in this area.

To the North of Penahia Jhar and Kharuhua Jhar mounds, within the Regulated Area, there is a Sugarcane Research and Seed Multiplication Centre, along with a portion of Jawahar Navodaya Vidyalaya. To the West of Penahia Jhar and Kharuhua Jhar mounds, within the Regulated Area, there is a Durga Temple, as well as a portion of the Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd.

Notably, within the Prohibited and Regulated Areas, the trend of establishing roadside eateries adjacent to NH-730 is becoming increasingly popular and is projected to continue expanding over time. While these constructions are primarily temporary, there is a possibility of their transition into permanent structures in the future.

5.2.3. Description of green/open spaces:

East: In the Prohibited and Regulated Area, green/open spaces in the Eastern direction primarily exist as agricultural land. However, green/open spaces are also present within various campuses, such as the Thai Chetavan Mahavihar Temple/Monastery Campus, in the form of orchards, ponds, and green areas.

West: In the Prohibited and Regulated Area, green/open spaces in the Western direction primarily exist as agricultural land. Additionally, there is an orchard, a pond, and some portion of an electrical substation in this direction.

North: In the Northern direction, the green and open spaces within the Prohibited Area primarily consist of agricultural land, whereas, the Regulated Area features several campuses, including Jawahar Navodaya Vidyalaya, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd., and the Sugarcane Research and Seed Multiplication Centre. These campuses include green areas, roads, orchards, gardens, playgrounds, parking areas and ponds.

South: In the Southern direction, both the Prohibited and Regulated Areas primarily consist of agricultural fields, with a notable water body in the form of a large pond.

5.2.4. Area covered under circulation - roads, footpaths etc.:

The circulation area within the Prohibited and Regulated Areas of the Penahia Jhar, Kharahua Jhar, and Ora Jhar Mounds is minimal. Among the three mounds, only Ora Jhar has direct road access, while the other two lack connecting roads.

Access to the Ora Jhar Mounds is primarily facilitated by National Highway-730, linking Balrampur district to Bahraich district, running adjacent to the North-Eastern boundary of the Ora Jhar Mound. Access to the Penahia Jhar and Kharahua Jhar Mounds is primarily facilitated by an approximately 4.5-meter-wide approach road, which connects Kandbhari village to NH-730. There are no separate footpaths along these roads.

Within the Protected Area of all the three mounds - Penahia Jhar, Kharahua Jhar, and Ora Jhar - there are no internal footpaths.

5.2.5. Existing heights of the buildings:

East: In the Eastern direction, the buildings generally range from single storey (G) to two storey (G+1), primarily existing in the Wat Thai Chetavan Mahawihar Buddhist Temple campus. However, there are a few structures with three storeys (G+2) present in the Maharzaya Thukha Buddhist Temple campus.

West: In the Western direction, constructions are minimal. However, Hotel Platinum Shravasti, located within the Regulated Area, stands out as a five storey (G+4) structure.

North: In the Northern direction, buildings within the campuses of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd., and the Sugarcane Research and Seed Multiplication Centre, generally range from two storeys (G+1) to three storeys (G+2). However, a few structures with four storeys (G+3) also exist. Additionally, electrical transmission towers in this direction dominate the skyline.

South: In the Southern direction, the structures comprises single storey (G) and double storey (G+1) residential buildings, along with roadside eateries situated adjacent to NH-730.

5.2.6. State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no state Protected Monuments and listed heritage buildings by the local authorities present within the Prohibited and Regulated Areas.

However, within close proximity there is another Protected Monument, "The site of Sahet Mahet in Tehsils – Ikauna and Balrampur Sadar, Districts –Shravasti and Balrampur, Uttar Pradesh".

5.2.7. Public Amenities:

The Penahia Jhar and Kharahua Jhar mounds, despite being in close proximity with Ora Jhar mound, receive minimal visits from tourists and Buddhist pilgrims, resulting in a lack of amenities in the area. Conversely, the Ora Jhar mound, being the most visited among the three, has basic facilities like a hand pump for drinking water, a guard room, an entry gate, and a boundary wall.

5.2.8. Access to the Monument:

Ora Jhar mound can be accessed via NH-730, whereas Penahia Jhar and Kharahua Jhar mounds are accessible through a kutcha road linked to a 4.5-meter-wide approach road, which connects Kandbhari village to NH-730.

5.2.9. Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services such as water supply, stormwater drainage, sewage system, and solid waste management. Visitor parking is situated outside the Ora Jhar mound premises, which often becomes congested during peak times.

5.2.10. Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

The Protected, Prohibited, and Regulated Areas of the Protected Monument, 'Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti)' fall within the *Nishiddh Kshetr* as defined in the Shravasti Mahayojana 1991-2031. Refer to **Annexure-IV** for further details.

CHAPTER VI

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The Protected Monuments have great architectural value as these reflect the Buddhist tradition and boast of the history of the monasteries. These age-old stupas, majestic viharas and several temples in the sites of Sahet Mahet establish the Buddhist association with Shravasti. Many ancient idols and inscriptions have been excavated from the areas nearby the monuments which narrate the history and connection of Lord Buddha with this place. While the architectural elements of these remains may not be very significant, their reverence by the pilgrims enhances their overall value.

6.2 Sensitivity of the Monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

(i) The Ora Jhar mound is located adjacent to NH-730, where the establishment of roadside eateries is a growing trend and is expected to continue expanding. While these structures are currently temporary, there is a possibility of their transformation into permanent structures in the future, posing a threat to the cultural landscape and the value of the Monument.

(ii) The Protected Monuments are located approximately 19 km from the city center of Balrampur district and about 10 km from Ikauna tehsil. The site may experience pressures of urban expansion in the future.

(iii) Over the past decade, the Regulated Areas of Ora Jhar, Penahia Jhar, and Kharahua Jhar mounds have witnessed several construction projects, such as Wat Thai Chetavan Mahavihara, Hotel Platinum Shravasti, Sugar Cane Research and Seed Multiplication Centre, and the Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd.

(iv) The vibrations caused by heavy traffic movement on NH-730, which abuts the Ora Jhar mound.

(v) The Penahia Jhar, Kharuhua Jhar, and Ora Jhar mounds, situated in the flood-prone area of River Rapti, are also vulnerable to erosion.

6.3 Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area:

<u>Visibility from the Protected Monument</u>

The Ora Jhar mound is the steepest among the three mounds. From its top, one gets to see a panoramic view of the entire area. The rural landscape of the area comprises village settlement, open grounds, ponds, orchards, and agricultural land. Additionally, the electric grid/substation on the Northern side and new constructions such as hotels, monastries, memorials, commemorative structures in all cardinal directions are visible from the top of Ora Jhar mound.

The visibility from Penahia Jhar and Kharahua Jhar mounds is limited to the rural landscape of the area (as mentioned above), which is dotted with new constructions all around. Towards the Southern direction, the visibility from both mounds includes the Ora Jhar mound, dominating the skyline.

Visibility from the Regulated Area:

The visibility from the Regulated Area is also characterized by rural landscapes such as open grounds, ponds, orchards, and agricultural land. The height of Penahia Jhar and Kharahua Jhar mounds is comparatively low, so the visibility from the Regulated Area to the Protected Monument is not very significant, although large trees line the Protected Boundary of the Kharahua Jhar mounds, and a physical boundary wall approximately 2.1-2.4 meters in height is visible.

Conversely, the Orajhar Mound is the steepest among the three mounds and is clearly visible from all the directions of the Regulated Area.

6.4 Land-use to be identified:

As outlined in the Shravasti Mahayojana 1991-2031 Proposed Land Use Plan **(Refer Annexure – IV);**

(i) The Protected and Prohibited Area of the Monuments is primarily designated as agricultural land-use.

(ii) The major portion of the Regulated Area is also designated as agricultural land use. However, there is a small portion of the Regulated Area, particularly in the Western part along both sides of the NH-730, where the proposed land-use includes residential and tourism-related uses. Notably, the current Hotel Platinum Shravasti is situated within the residential land use zone.

6.5 Archaeological heritage remains other than the Protected Monument:

The mythologies associated with Shravasti, its history, descriptions in travelogues by famous travelers such as Hiuen Tsang and Fa-Hien, religious texts, and physical evidence in the form of archaeological remains, as well as excavation reports by the Archaeological Survey of India (ASI) and old historic maps, collectively indicate that the entire region boasts of a rich archaeological heritage.

The areas designated as Prohibited, Regulated, and their neighbouring land hold significant archaeological potential, buried within layers of earth.

6.6 Cultural Landscapes:

Shravasti is a remarkable example of cultural harmony and intermingling. It has age-old stupas, majestic monasteries and several temples in the sites of Sahet, Mahet, Penahia Jhar, Kharahua Jhar and Ora Jhar mounds, establishing Lord Buddha's association with Shravasti. These Buddhist monuments are an integral part of the cultural landscape which are spread in the vast area. It is one among the eight Buddhist pilgrimage sites. Devotees and followers of Buddhism from around the world journey to Shravasti to pay homage to Lord Buddha and immerse themselves in the spiritual ambience of the area.

The Rapti River, flowing through the Northern part of Shravasti, adds value to its rich cultural landscape. Historically, this river provided a tranquil atmosphere and an ideal backdrop for the establishment of monasteries, a setting envisioned by Lord Buddha himself as conducive to spiritual practice. The monastic tradition continues to thrive in Shravasti to this day, with various contemporary monasteries and meditation centers catering to visitors seeking religious and spiritual enlightenment. These centers serve as learning hubs.

In addition to its Buddhist significance, there are several Brahmanical temples, Jain temples, and medieval tombs, reflecting the diverse religious heritage of the region. It is noteworthy to mention that Shravasti holds importance in Jainism as well. It is believed to be the birthplace of Sambhavanatha, the third Tirthankara. Jain devotees from across the country pilgrimage to the Jain Temple in Shravasti to pay respects and partake in religious rituals.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The location and environment of the Protected Monuments in Shravasti perfectly align with that of an ideal Buddhist monastery that nurtures tranquility, spiritual growth and a sense of harmony with nature. While there is no definitive evidence or written records detailing the authentic natural landscape of this site, the current natural surroundings reflect its serene character and provide a supportive backdrop for the existing archaeological remains, shielding them from potential adverse impacts. The open areas are primarily utilized for agricultural activities, sustaining the local community and preserving the rural essence of the landscape.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open space surrounding the Monument is primarily utilized as agricultural land. New constructions typically involve the expansion of existing village settlements, construction of new monasteries, hotels, educational institutes, and a few infrastructure development projects.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

Rituals performed by pilgrims at the sites of Ora Jhar and others are deeply rooted in the rich heritage and religious significance of Buddhism. These activities include worshipping and making offerings, circumambulation around sacred monuments, meditation and commemorating important events of Buddhist history.

Pilgrimage to these archaeological sites are integral to Buddhist religious practices, offering spiritual rejuvenation and connection within the community. Rituals and festivals held at these sites, such as Budh Purnima, further celebrate the legacy of Buddhism. Additionally, educational programs at the sites serve to preserve and share Buddhist teachings, history, and culture for future generations.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

Skyline visible from the from the Monument:

From the Monument, the skyline stretches out in all directions, revealing varying heights and landscapes. To the East, the skyline is dominated by serene greenery and architectural structures characterised by the orchards within the Thai Chetavan Mahavihar Temple campus and its accompanying buildings. To the West, orchards and agricultural land dot the horizon, accompanied by the Daen Mahamongkol Thai Monastery, the largest monastery complex in the vicinity. Its Pagoda-shaped high-rise meditation hall and grand statue of Lord Buddha prominently define the Western skyline, attracting significant attention from both the Prohibited and Regulated Areas.

Towards the North, the skyline boasts of imposing buildings of Jawahar Navodaya Vidyalaya Campus, Sugarcane Research and Seed Multiplication Centre, and the towering electrical substation of the Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd., each contributing to the urban fabric of the area.

In contrast, the Southern skyline is dominated by the Ora Jhar mound, with a few scattered residential buildings and the prominent presence of Hotel Platinum Shravasti.

Skyline visible from the from the Regulated Area:

The landscape is characterised by the presence of Ora Jhar, Kharuhua Jhar, and Penahia Jhar mounds. NH-730 cuts through the landscape, dividing predominantly open agricultural land with occasional water bodies.

Overall, the skyline presents a blend of agricultural expanses, cultural landmarks, and rapidly increasing development, reflecting a dynamic and evolving landscape shaped by both tradition and progress.

6.11 Traditional architecture:

No traditional architecture is prevalent around the Monument, except for a few traditional old mud houses with thatched roofs located outside the Regulated Area in the Husain Jot, Chakra Bhandar and Kandbhari villages. This traditional house typology is common in nearby villages as well, generally built using locally sourced materials.

6.12 Developmental plan as available by the local authorities:

It may be seen at **Annexure IV.**

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1. Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building

is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2. Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Arcaheological Sites and Remains(AMASR) Act, 1958. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 AMASR (Framing of Heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3. New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3.B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the ‘Shravasti Mahayojana - 1991-2031’ and ‘Development Authority: Building Construction and Development Bye-Laws, 2008 (as amended in 2011, 2016, and 2018), published by the Department of Housing and Urban Planning, Uttar Pradesh’, as and when amended, shall be applicable.

However, the height and other parameters specified in this Heritage Bye-law shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **7.5 meters** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   Construction of the basement shall not be permitted to mitigate any adverse impact on the structural safety of the Protected Monument since the Protected Monument and its surrounding exhibit significant archaeological features, indicating immense archaeological potential.

2. **Usage:**

   i. In accordance with the Shravasti Mahayojana, Proposed Landuse-1991-2031, the general character of the surroundings should be maintained primarily as agricultural fields. Only constructions falling under specified exemptions shall be permissible on the existing agricultural land use. These exemptions on agricultural land include constructions like dwellings and ancillary building for the people engaged in the farm; storage of crop, fodder, manure, agricultural tools and other similar activities.
   ii. No new commercial development shall be permitted within the Regulated Area.
   iii. Additions of sculptures, statues, memorials, commemorative structures, or any other forms of artistic or commemorative installations shall not be permitted within the Regulated Area.

3. **Façade design:**

   i. Vernacular architecture using traditional locally available building materials should be encouraged.
   ii. The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Monument. No intrusive materials like cladding or use of panelling on the exterior facade should be permitted.
   iii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.
   iv. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

4. **Roof design:**

   i. Flat roof design should be followed with low parapet walls along the edges.
   ii. Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the buildings.
   iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls

(brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

iv. The roof(s) of new building should conform to the characteristics of the roof(s) around them. They shall be visually compatible, by not creating contrast with the roof shape, orientation, and pitch of surrounding historic buildings.

5. Building material:

i. Use of vernacular building materials like mud, clay, bamboo, stone, timber, lime plaster, and thatched roof and other such materials may be encouraged.

ii. Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument may be maintained.

iii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, clean and functioning toilets, provision of clean drinking water, shade and benches for seating and proper signages and information boards should be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. Proper signages may be set up for easy identification of the entrance to the Protected Monument. Signages may be placed in such a way that there is no adverse impact on the visibility of the Protected Monument.

ii. All signages within the precinct should be compatible and harmonious with the heritage character of the Protected Monument and its immediate surroundings.

iii. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

iv. No advertisements in the form of hoardings, bill boards, and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

v. Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative.

vi. Any measures taken by the Local bodies for safety and security of the general public at large in the flood prone zone may be permitted.

vii. Telephone exchange, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys, and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged and sitting them beyond the Regulated Area may be considered.

viii. The widening of the National Highway (NH 730), if done, should be in the direction away from the Protected Boundary of the Monument.

ix. Encroachment on the approach road to the Protected Monument should be strictly prohibited.

x. All temporary structures along the road like dhabas/ workshops/ roadside vending kiosks etc may be relocated away from the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument.

xi. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

xii. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting etc. should be encouraged.

7.2 Other Recommendations:

i. It is recommended to conduct a comprehensive traffic assessment around the Protected Monuments to identify high-risk areas and traffic patterns that may endanger the structural integrity of the Protected Monuments.

ii. The local body may prepare architectural control guidelines relating to architectural design elements and conservation principles, to control the height and maintain the skyline (without any high-rise or multi-storeyed

development), as may be existing in the surrounding area, so as not to diminish or destroy the value and beauty of the historic urban landscape.

iii. Provisions for differently abled persons should be provided as per prescribed standards.

iv. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

v. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

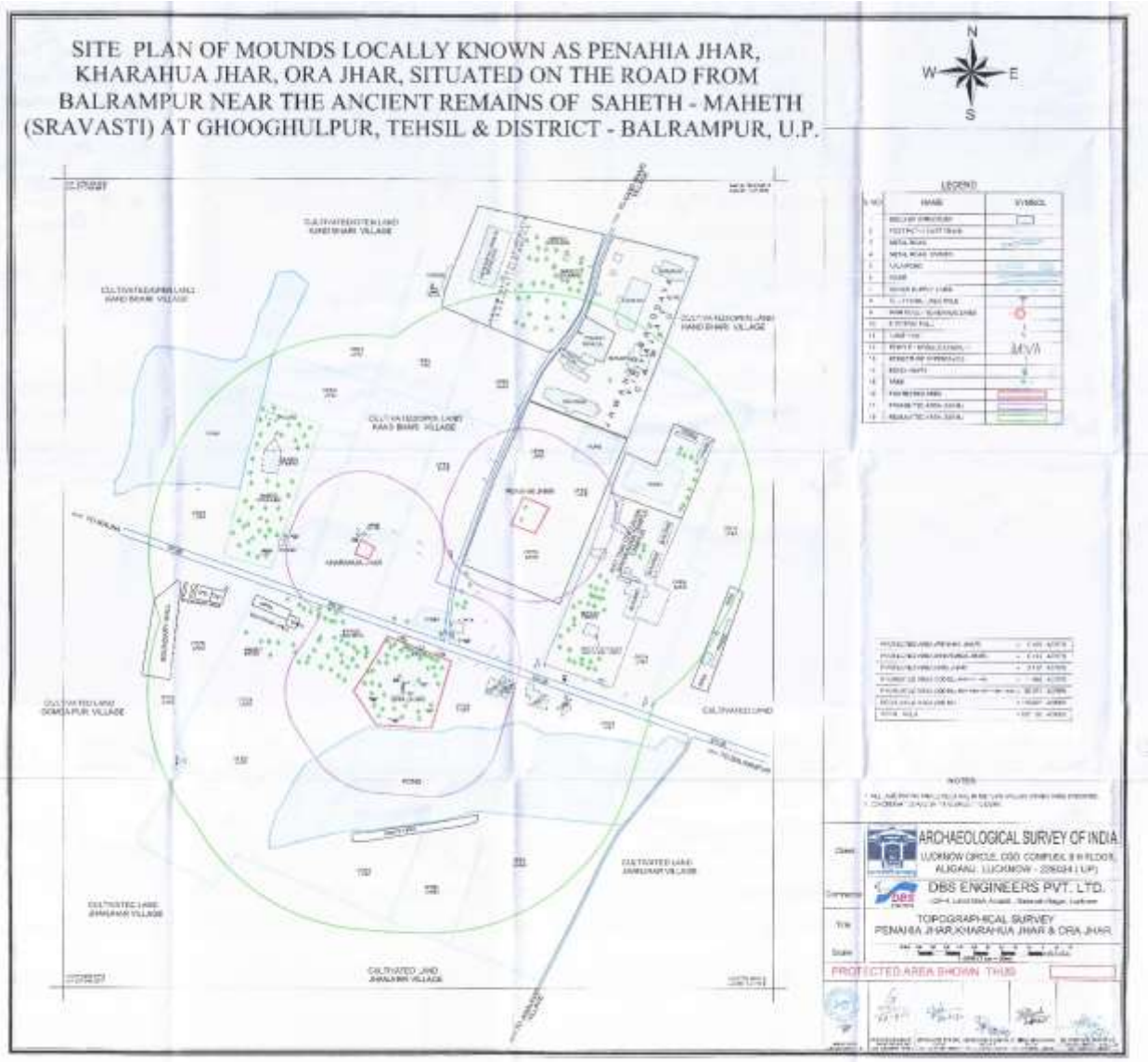

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की अधिसूचना

Notification of Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

मूल अधिसूचना
Original Notification

27-12-1920 F-20

Erratum

Please read 159(a) for 160, 160 for 161 and subsequent serial numbers accordingly.

Dated the Allahabad, the 27th December, 1920.

No. 1562/1133M.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1465M/1133, dated 25.11.1920, published at pages 1911-1924 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 6th November, 1920, relating to the undermentioned monuments:-

Sl. No.	Name and description of monument	District	Locality
301	A mound covered with bricks with the ruins of the temple of Asokanath, Mahadeva.	Gonda.	Hathili, small village in pargana Mahadeva, of tahsil Tarabganj, 12 miles S.-E.-ly. of Gonda.
302	A mound 20' high apparently formed of solid brick-work where the Pirthvinath Lingam and a copperplate grant were found.	Do.	Pachran, small village in tahsil Gonda, 18 miles N. of head-quarters.
303	Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Sravasti).	Do.	Saheth-Maheth.
304	A high khera of great extent said to be the ruins of one of the principal cities of Raja Karna of the Mahabharata.	Bahraich	Hathiakund, 12 miles east of Bhinga in tahsil Bahraich.
305	A large brick-strewn Khera, being the ruins of an apparently Buddhist city.	Do.	Chandra or Chahardah village in tahsil Nan-para, 26 miles N. of Bahraich.
306	The ruins of an angleless fort which are supposed to represent certain stupas mentioned by Hiouen Tsang as situated to the N.-W of Jetavana monastery.	Do.	Ikauna, village in tahsil Bahraich, 12 miles E. of head-quarters.
307	A mound of brick ruins 800' x 300'	Do.	Tandwa, old village in pargana Ikauna of tahsil Bahraich, 20 miles E. of headquarters
308	An isolated mound, 500' to the W. of the stupa mentioned in no. 306.	Do.	Ditto.
309	A long low mound, measuring 800' x 500' to the W.-N.-W. at the distance of 3,700' from the stupa no.306.	Do.	Ditto.
310	A small round shaped mound 300' to the E.-S.-E. of the great stupa no. 306.	Do.	Ditto.
311.	Extensive brick-strewn mounds, undoubtedly the ruins of Buddhist cities.	Sultanpur.	Villages of Kaipur, Tikri, Shahgarh, and Bitha near Amethi.
312.	An interesting group of ruined brick-temples of the 10th century, locally called telegarhi.	Do.	Bhagupur village near Musafirkhana tahsil.

Typed copy of Original Notification - Mounds locally known as Penahia Jhar, Kharahua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh.

F-20
Dated the Allahabad, the 27th December 1920.

No. 1669/1133M- In exercise or the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1465M/1133, dated 25.11.1920, published at pages 1911-1924 of part I of United Provinces Gazette, dated the 11th November 1920, relating to the under mentioned monuments: -

Sl.No.	Name and description of monument	District.	Locality.
301	A mound covered with bricks with the ruins of the temple of Asokanath, Mahadeva.	Gonda.	Hathili, small village ibn pargna Mahadeva, of tehsil taralganj 12 miles S.-E.-S of Gonda.
302	A mound 20' high apparently dformed of solid brick-work where the firthvinath lingam and a perplate grant were found.	Do.	Pachran small village in tehsil Gonda 18 miles n of of headquarters.
303	Mounds locally known as penahia Jhar, Kharaua Jhar, Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti).	Do.	Saheth-Maheth.
304	A high khera of great extent said to be the ruins of one of the principal cities of Raja karna of the Mahabharat	Bahraich	Hathlakund 12 miles east of Bhinga in tehsil Bahraich.
305	A large brick –strewn khera, being the ruins of an-apparently Buddhist City.	Do.	Chandra or Chhadah village in tehsil nanpara, 26 miles n. of bahraich.
306	The ruins of an angles fort which are supposed to represent certain stupas mentioned by Hieuen Tsang as situated to the N-w of Jetavan monastery	Do.	Ikauna, old village in pargana Ikauna of tehsil Bahraich, 20 miles E. of heaquaters
307	A mound of brick ruins 800x300	Do.	Tandwa, old village in pargana Ikauna of tehsil Bahraich, 20 miles E. of headquarters
308	An Isolated mound, 500, to the w. of the stupa mentioned in no. 306.	Do.	Ditto.
309	A long low mound, measuring '800x500' to the w.n.w of Jetavane monastry.	Do.	Ditto.
310.	A small round shaped mound 300 to the E.-s.e of the great stupa mentioned	Do.	Ditto.
311.	Extensive brick-strewn mounds, undoubtedly the ruins of Buddhist cities	Sultanpur.	Villages pf Raipur Tikri, Shahgarh and Bithe near Amethi.
312.	An Interesting group of ruined brick-temples of the 10th century, locally called telegarhi.	Do,	Bhagupur village near Musaf irkehena tehsil.

अनुलग्नक-III (क)
ANNEXURE-III (a)

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राईंग

Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Penahia Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

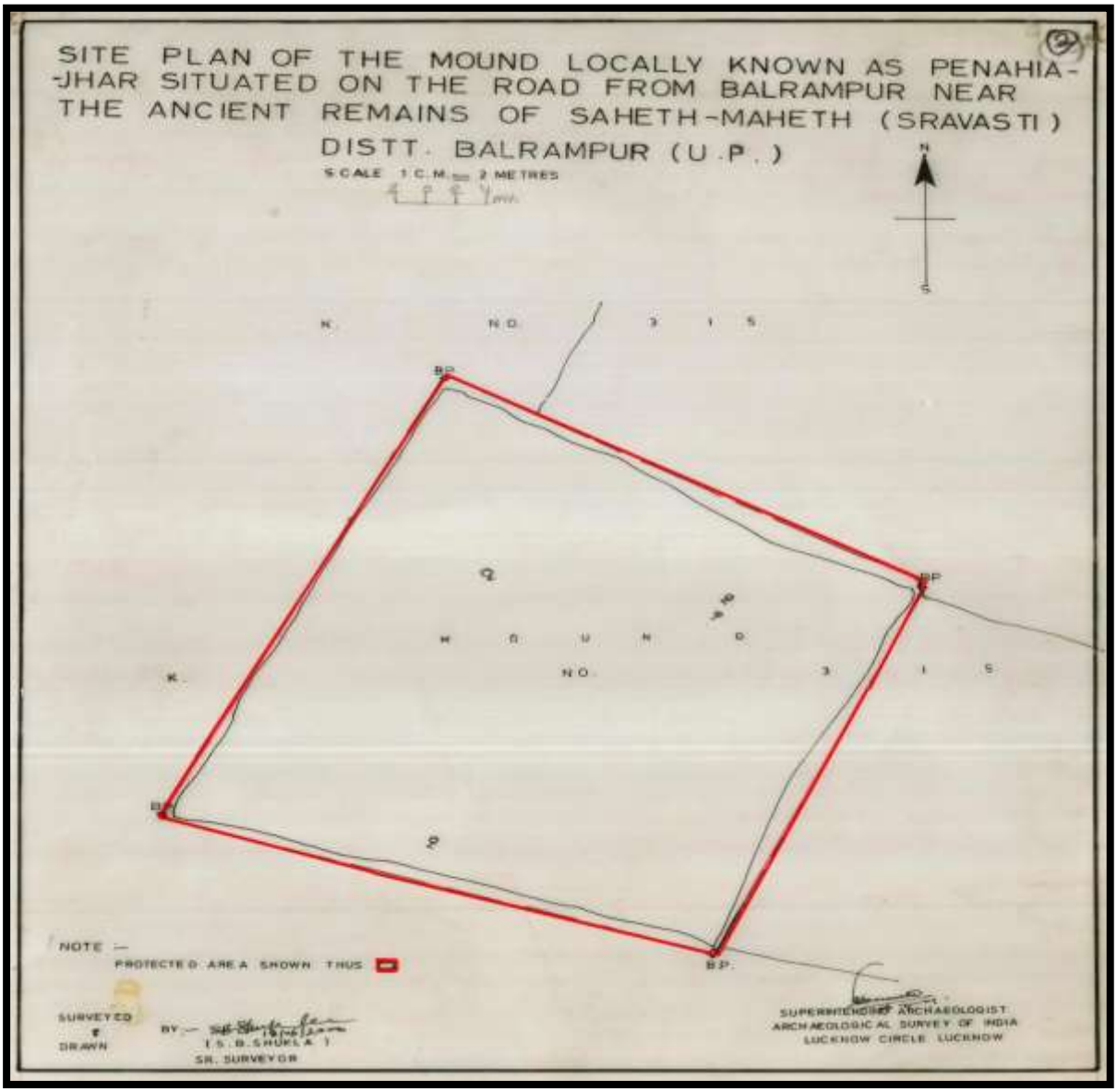

अनुलग्नक-III (ख)

ANNEXURE-III (b)

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राईंग

Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Kharahua Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

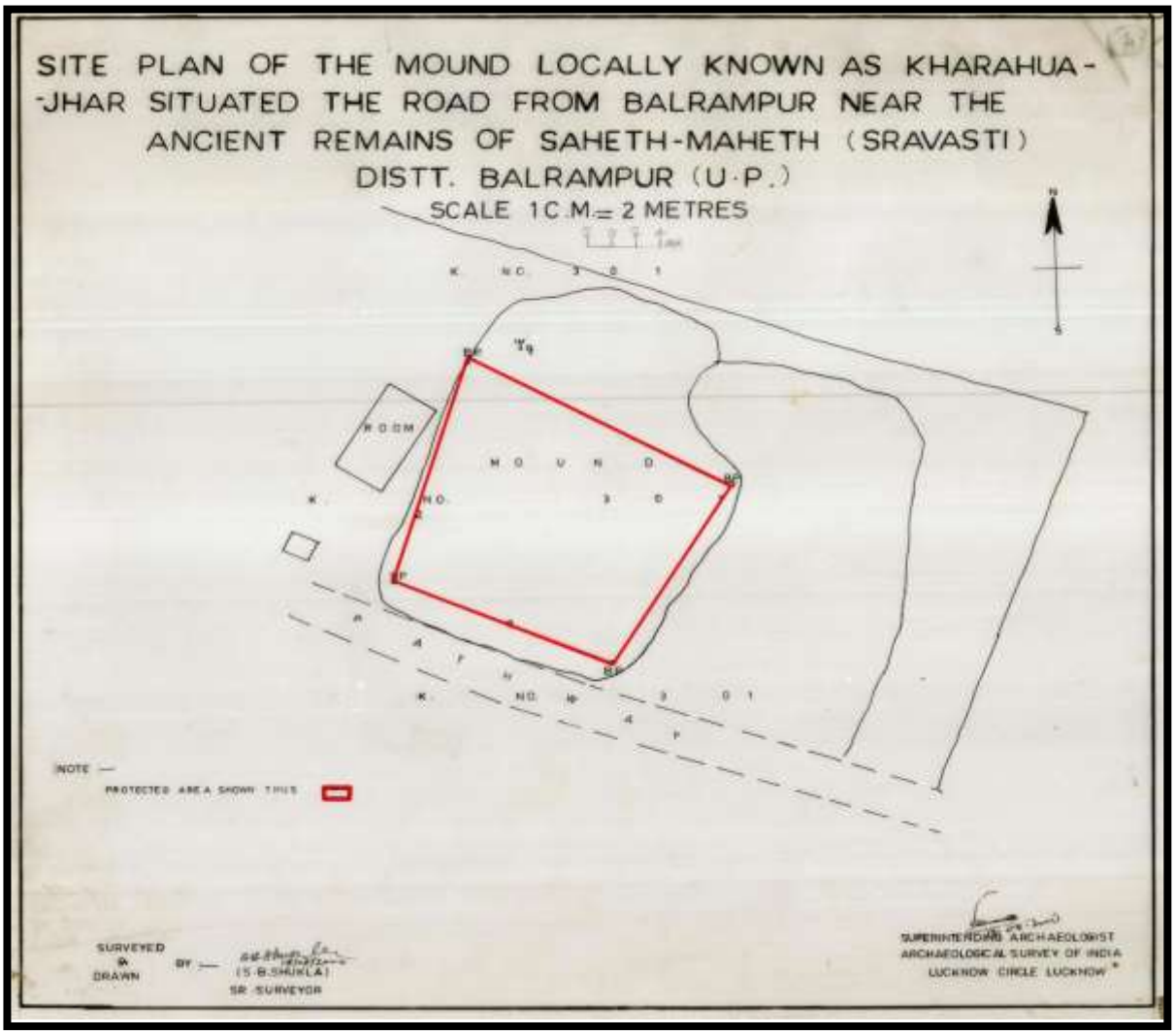

अनुलग्नक-III (ग)

ANNEXURE-III (c)

सहेट-महेट (श्रावस्ती), जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के निकट बलरामपुर मार्ग पर स्थित टीलों जिन्हें स्थानीय रूप से पनहिया झार, खरहउवा झार, ओड़ा झार के नाम से जाना जाता है, की स्थल योजना को दर्शाती अभिलेखीय ड्राइंगें

Archival drawings showing the Site Plan of Mounds locally known as Ora Jhar, situated on the road from Balrampur near the ancient remains of Saheth-Maheth (Shravasti), District-Balrampur, Uttar Pradesh

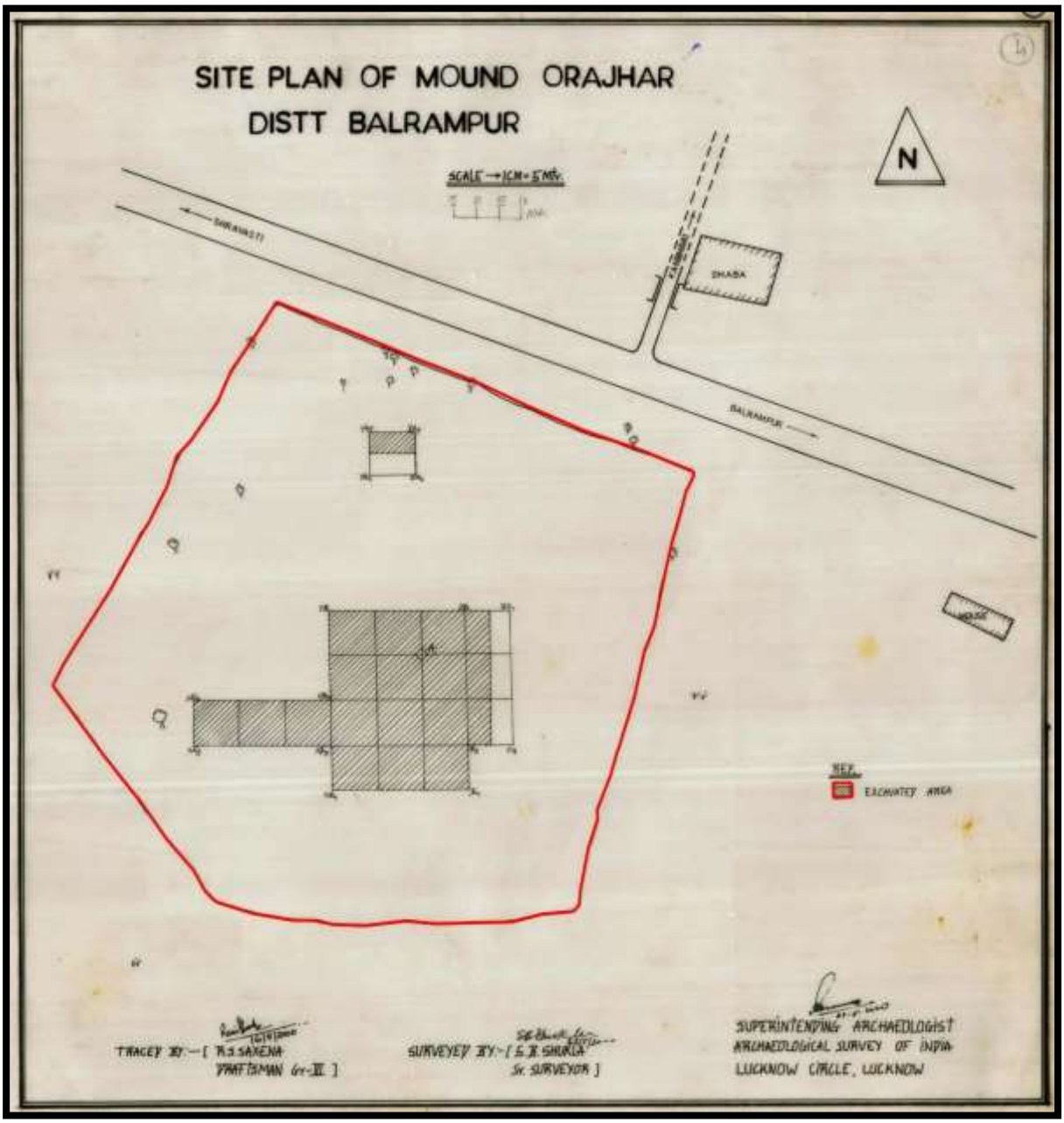

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

श्रावस्ती महायोजना (1991-2031)
प्रस्तावित भूमि-उपयोग

Shravasti Master plan (1991-2031)
Proposed Land-use

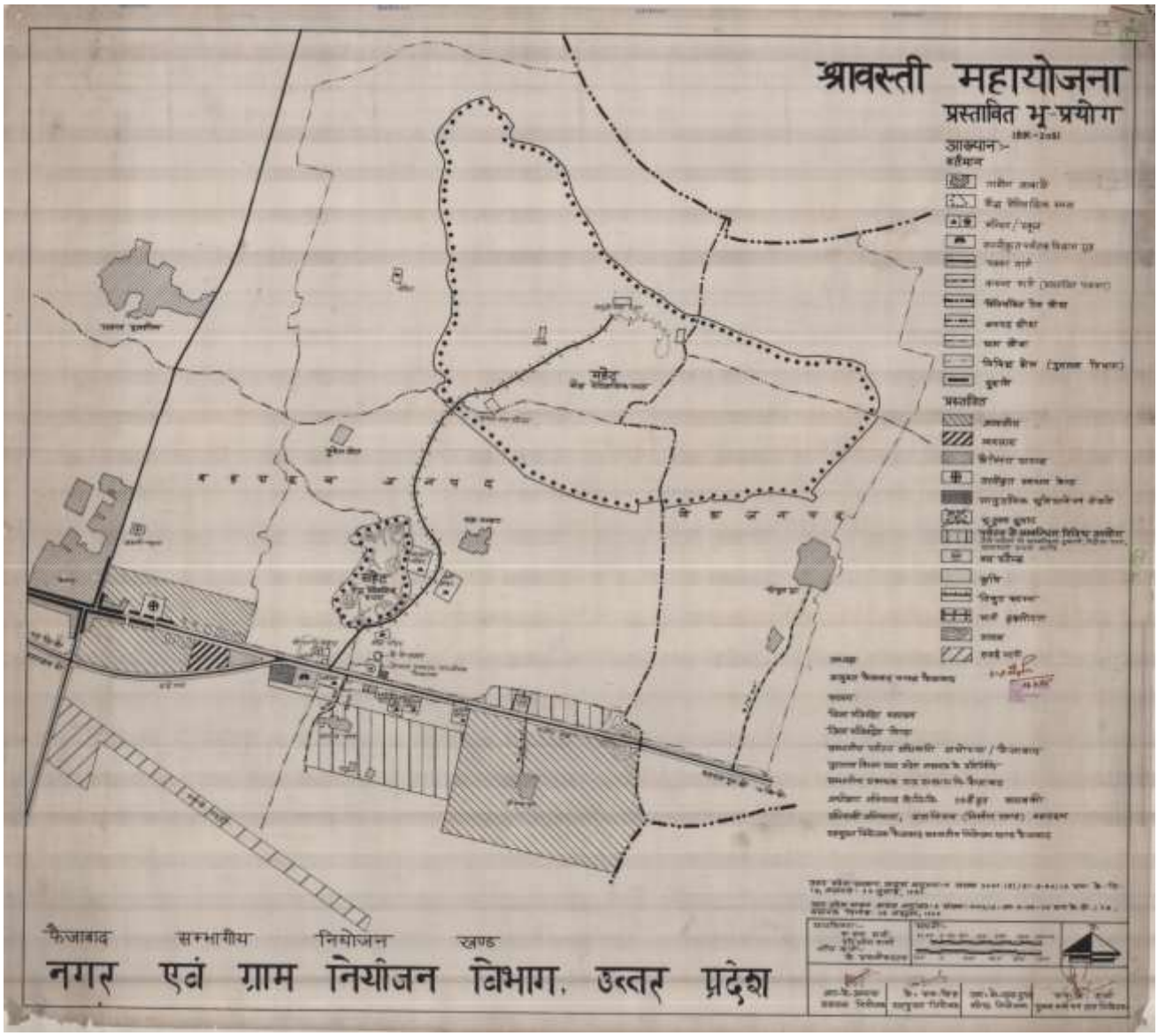

अनुलग्नक-V
ANNEXURE-V

संस्मारक और इसके आसपास के चित्र
Images of the Monument and its surroundings

चित्र 1: ओड़ाझार टीला, श्रावस्ती का प्रवेशद्वार
Image 1: Entrance Gate of Ora Jhar Mound, Shravasti

चित्र 2: ओड़ाझार टीले के टॉप पर पुरातात्व अवशेष
Image 2: Archaeological remains on top of Ora Jhar mound

चित्र 3: ओड़ाझार टीले के टॉप से दिखाई देता क्षितिज
Image 3: Skyline visible from top of Ora Jhar mound

चित्र 4: पनहिया झार टीले की संरक्षित सीमा दर्शाता
Image 4: Showing the Protected Boundary of Penahia Jhar mound

चित्र 5: खारहुआ झार की संरक्षित सीमा दर्शाता
Image 5: Showing the Protected Boundary of Kharuhua Jhar mound

चित्र 6: पनहिया झार और खारहुआ झार टीले के आसपास कृषि भूमि के रूप में प्रतिषिद्ध क्षेत्र को दर्शाता
Image 6: Showing the prohibited area as agricultural land around Penahia Jhar and Kharuhua Jhar mound

चित्र 7: एनएच- 730 और सभी तीनों टीलों को जोड़ने वाली पहुंच सड़क दर्शाता
Image 7: Showing approach road connecting NH-730 and all the three mounds

चित्र 8: ओड़ाझार टीले का दृश्य
Image 8: View of Ora Jhar Mound

चित्र 9: ओड़ाझार टीले के सामने एनएच- 730 के समीप सड़क के किनारे खाने के ढ़ाबे दर्शाता
Image 9: Showing the establishment of roadside eateriesadjacent to the NH-730 in front of Ora Jhar mond

चित्र 10: खरहउवा झार टीले की संरक्षित सीमा के समीप स्थित एक छोटा पम्प हाउस जिसमें एक सिंचाई पम्प है, दर्शाता
Image 10: Showing a small pump house, accommodating anirrigation pump, located adjacent to the Protected Boundary of the KharuhuaJhar mound

चित्र 11: गन्ना अनुसंधान एवं बीज गुणन केंद्र तथा विद्युत उप-केंद्र के लिए नई निर्मित पहुंच सड़क दर्शाता
Image 11: Showing a newly constructed approach road to Sugar Cane Research and Seed Multiplication Centre and Electric Substation

चित्र 12: विद्युत उप-केंद्र में टावर लगाने से हावी क्षितिज दर्शाता
Image 12: Showing skyline dominated by towering installations at electric sub station

चित्र 13: परहिया झार और खरहुवा झार की पश्चिम दिशा में बागों के साथ दुर्गा मंदिर दर्शाता

Image 13: Showing Durga Temple along with Orchards in the West direction of the Penahia Jhar and Kharuhua Jhar mounds

चित्र 14: एनएच- 730 वाट थाई चेतवन महाविहार बौद्ध मंदिर परिसर का प्रवेशद्वार दर्शाता

Image 14: Showing entrance of Wat Thai Chetavan Mahawihar Buddhist temple complex from NH-730

चित्र 15: जवाहर नवोदय विद्यालय का भवन दर्शाता

Image 15: Showing buildings of Jawahar Navodaya Vidyalaya

चित्र 16: पनहिया झार टीले से क्षितिज दर्शाता

Image 16: Showing skyline from Penahia Jhar mound

चित्र 17: विद्युत उप-केंद्र में टावर लगाने से हावी क्षितिज दर्शाता

Image 17: Showing skyline dominated by towering installations at electric sub station

चित्र 18: विनियमित क्षेत्र में मौजूद होटल प्लेटिनम श्रावस्ती दर्शाता

Image18: Showing Hotel Platinum Shravasti existing in the Regulated Area